

**अध्याय - ॥**  
**बिक्री, व्यापार आदि पर कर**




## अध्याय- 11: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

### 2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें वाणिज्यकर के अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्तों (वा.क.सं.आ.), वाणिज्यकर के अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), निगरानी एवं अनुश्रवण के संयुक्त आयुक्तों के साथ वाणिज्यकर के अन्य उप/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा इस प्रकार है:



राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमंडलों<sup>1</sup> में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं एवं 28 अंचलों<sup>2</sup> में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./वा.क.स.आ.) होते हैं। अंचल के वा.क.उ./वा.क.स.आ., जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। वा.क.सं.आ. (प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में

<sup>1</sup> धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

<sup>2</sup> आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

अ.ब्यू. के एक उपायुक्त पदस्थापित होते हैं तथा मुख्यालय के नियंत्रण में प्रत्येक प्रमंडल में एक वा.क.उ. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं।

## 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


हमने 2015-16 के दौरान वाणिज्यकर विभाग की कुल 45 इकाइयों में से 25 वार्षिक इकाइयों और दो द्विवार्षिक इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच करने के लिए योजना बनाई और उपर्युक्त योजनाबद्ध सभी इकाइयों<sup>3</sup> की नमूना जाँच की जिसने मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर से संबंधित ₹ 7,807.49 करोड़ की राजस्व एकत्रित की थी। हमारे लेखापरीक्षा से 597 मामलों में सन्निहित ₹ 2,952.62 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि तालिका-2.1 में दिए गए हैं।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क.के लेन देन की तिर्यक जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन	1	1,226.44
2	झारखण्ड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की संग्रहण की प्रणाली	1	377.28
3	आवर्त के गलत निर्धारण/छिपाये जाने के कारण कर का कम आरोपण	207	941.78
4	ब्याज/अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	120	208.10
5	कर की गलत दर का अनुप्रयोग	49	66.01
6	के.बि.क. के तहत कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति	38	51.05
7	इन पुट टैक्स क्रेडिट कि अनियमित/गलत अनुमति	30	12.61
8	अन्य मामलें	151	69.35
	कुल	597	2,952.62

<sup>3</sup> वा.क.उ./वा.क.स.आ. के कार्यालयों, आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची पूर्वी, रांची दक्षिण, रांची विशेष, रांची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट और आयुक्त, वाणिज्यकर, रांची।



वर्ष के दौरान विभाग ने 168 मामलों में सन्निहित ₹ 2,151.03 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एव अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से हमारे द्वारा 128 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 2,150.38 करोड़ वर्ष 2015-16 में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। 30 मामलों में ₹ 2.43 करोड़ की राशि वसूल की गई।

इस अध्याय में हमने ₹ 1,603.72 करोड़ की वित्तीय निहितार्थ वाले दो लेखा परीक्षाओं “वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क.के लेन देन की तिर्यक जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन” और “झारखण्ड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की संग्रहण की प्रणाली” और ₹ 546.66 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले कुछ मामलों उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये हैं। विभाग ने ₹ 2,150.38 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जो अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चित हैं।

## 2.3 वाणिज्यकर विभाग में मू.व.क./के.बि.क. के लेन-देन की तिर्यक-जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन

### 2.3.1 प्रस्तावना

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005, एक अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) को वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करने का प्रावधान करता है तथा वह ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे समय-समय पर सौंपा जाएगा। वा.क.आ. द्वारा अगस्त 2009 में जारी एक आदेश के तहत प्रमंडलीय अ.ब्यू. को वा.क.सं.आ. (प्रशासन) के अधीन में अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करने वाले व्यवसायियों के लिए के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अनुसार उनके निबंधन प्रमाण पत्र में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानों और प्रविष्टियों की जाँच करने, बड़े निर्माताओं/व्यवसायियों का

निरीक्षण करने, राज्य/केंद्रीय उपक्रमों और रेलवे गोदामों से उनके द्वारा की गई खरीद/आयात के आंकड़े एकत्र करने का कार्य सौंपा गया था।

आयुक्त ने अ.ब्यू. को बड़े निर्माताओं/उपक्रमों/व्यवसायियों के संबंध में खरीद/प्राप्ति के आंकड़े प्राप्त करने और उनकी तिर्यक जाँच कर, कर का अपवंचन/परिवर्जन की जाँच करने के लिए भी निर्देश दिया था। तदन्तर, झा.मू.व.क. अधिनियम, बेहतर प्रशासन के लिए आयुक्त को सभी व्यवसायियों या व्यवसायी के किसी भी वर्ग या व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है।

### 2.3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा को इस उद्देश्य के साथ संचालित किया गया कि क्या सरकारी राजस्व की रक्षा करने के लिए अन्य विभागों के साथ लेनदेन के तिर्यक जांच की व्यवस्था का पालन किया गया था।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006;
- केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय बिक्री कर (निबंधन एवं आवर्त) नियमावली, 1957;
- केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006; और
- समय-समय पर जारी निर्देश/अधिसूचनाएं

### 2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

2.3.4.1 लेखापरीक्षा नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ साथ 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु जुलाई 2015 और जून 2016 के बीच संचालित की गई। हमने राज्य सरकार के विभागों/केन्द्र सरकार के विभागों, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्रित आंकड़ों/सूचनाओं का व्यवसायियों/ठेकेदारों के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच, कर की चोरी के साथ ही अनिबंधित व्यवसायियों/ठेकेदारों की पहचान का पता लगाने के लिये किया।

2.3.4.2 आंकड़ों का संग्रहण झारखंड सरकार के निम्नलिखित विभागों/निगमों से किया गया: **राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग** (प्रेषित/बिक्री की गयी भारत निर्मित विदेशी शराब की मात्रा और मूल्य, आयात शुल्क और भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क), **खान एवं भूतत्व विभाग** (निष्कर्षित और प्रेषित खनिज की मात्रा), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)/लोक निर्माण विभागों (कार्यसंवेदकों को कार्यसंविदा के निष्पादन हेतु किए गए सकल भुगतान)।

**2.3.4.3** भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात्, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग (ई आर-4 में वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण), **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड** (संबन्धित कोयला खान क्षेत्रों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखें), **प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क निदेशालय** (झारखंड राज्य में देश के बाहर से आयातित मालों का सीआईएफ मूल्य), **भारतीय रेल** (झारखंड के आपूर्तिकर्ताओं को पत्थर गिट्टी की आपूर्ति के लिए किए गए सकल भुगतान) एवं **भारतीय खान ब्यूरो** (प्रेषित खनिज की मात्रा, औसत कीमत और झारखंड के पट्टेदारों द्वारा की गयी रॉयल्टी का भुगतान) से आंकड़ों का संग्रहण किया गया।

**2.3.4.4** वाणिज्यकर विभाग में निबंधित व्यवसायियों के कर निर्धारण आदेशों से आँकड़ों का संग्रहण किया गया।

**2.3.4.5** उपरोक्त विभाग (गों) से प्राप्त किए आँकड़ों का व्यवसायी द्वारा दाखिल विवरणियों के साथ तिर्यक-जांच किया गया।

एक बहिर्गमन सम्मेलन प्रधान सचिव सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग, झारखंड सरकार के साथ 2 अगस्त 2016 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष, परिणाम और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप में प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

### 2.3.5 आभारोक्ति


भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग हेतु वाणिज्यकर विभाग, झारखंड सरकार एवं झारखंड और भारत सरकार के अन्य विभागों के प्रति आभार प्रकट करता है।

### लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

उपर्युक्त विभागों से 2010-11 और 2014-15 की अवधि से संबंधित 790 व्यवसायियों के संबंध में एकत्रित आँकड़ों का व्यवसायियों द्वारा दायर अभिलेखों<sup>4</sup> और वा क वि. में संधारित आँकड़ों के आधारसंग्रह के साथ तिर्यक-जांच किया गया। हमने देखा कि अधिनियम में मू.व.क./के.बि.क. के लेन देन की तिर्यक-जाँच की व्यवस्था के कार्यान्वयन में कमी है जिसके फलस्वरूप नमूना जाँचकृत 790 व्यवसायियों में से 412 व्यवसायियों के मामले में ₹ 1,226.44 करोड़ के राजस्व का रिसाव हुआ। इन अनियमितताओं की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है। अनियमितताओं की प्रकृति का चित्रण एक सचित्र आरेख में नीचे दर्शाया गया है:

<sup>4</sup> करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश, व्यवसायी द्वारा दाखिल आवधिक विवरणी, झा.मू.व.क.-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और व्यवसायियों के निबंधन प्रमाण पत्र।

**₹ 1,226.44 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताओं का सचित्र आरेख  
(₹ करोड़ में)**



- खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यवसायी निबंधित नहीं थे
- कार्य संवेदक निबंधित नहीं थे
- व्यवसायी आयात गतिविधियों में शामिल पर निबंधित नहीं थे
- वा.क.वि. के अंतर्गत संचालित तिर्यक जाँच से आवर्त के छिपाव का पता लगना
- झारखण्ड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक जाँच आवर्त के छिपाव का पता लगना
- भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित तिर्यक जाँच से आवर्त के छिपाव का पता लगना
- टी.डी.एस. को नहीं/कम जमा किया जाना

**2.3.6 वा.क.वि. में व्यवसायियों के निबंधन हेतु पात्रता मानदंड**

झा.मू.व.क.अधिनियम की धारा 25 प्रावधान है कि कोई भी व्यवसायी जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह तब तक व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि वह निबंधित नहीं हो। अधिनियम की धारा 8 (5) और इसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत, व्यवसायी आवर्त के विनिर्दिष्ट मात्रा के आधार पर स्वयं निबंधित के होने लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि तालिका-2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.2

व्यवसायियों की श्रेणी	मात्रा (₹)
पत्थर चिप्स/पत्थर आदि के खनन से संबन्धित व्यक्तियों	1,00,000
कार्य संविदा सौदों से संबन्धित व्यक्तियों	25,000
व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों	5,00,000
देश के बाहर से माल के आयात और अन्य राज्यों से खरीद कर झारखंड में बिक्री करने से संबन्धित व्यक्तियों	शून्य

तदन्तर, धारा 38 प्रावधान है कि यदि कोई व्यवसायी किसी अवधि के लिए कर का देनदार है और अधिनियम के अन्तर्गत अपना निबंधन करवाने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक से देय कर की राशि का निर्धारण करेगा तथा व्यवसायी को अर्थदण्ड के रूप में निर्धारित कर की समतुल्यराशि अथवा दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, भुगतान करने का निर्देश भी कर सकता है।



### 2.3.6.1 खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यवसायी परंतु निबंधित नहीं थे

खनन विभाग/भारतीय रेल से संगृहीत आंकड़ों के तिर्यक जांच से पता चला कि 204 पट्टेदारों, जिनकी आपूर्ति आवर्त निर्धारित अवसीमा को पार कर गयी थी, वा.क.वि. में निबंधित नहीं थे, फलस्वरूप अर्थदंड सहित ₹ 6.72 करोड़ के कर का निर्धारण नहीं हुआ।

हमने पट्टेदारों द्वारा पत्थर चिप्स/पत्थर के निष्कर्षित और प्रेषित आँकड़ों का नमूना जांच के तौर पर तीन जिला खनन कार्यालयों<sup>5</sup> से प्राप्त किया (अगस्त 2015 और



जून 2016 के बीच) और पाया कि 268 पट्टेदारों में से 203 पट्टेदारों ने 2010-11 और 2014-15 के बीच ₹ 23.19 करोड़<sup>6</sup> मूल्य के 9.30 लाख घनमीटर पत्थर चिप्स/पत्थर को प्रेषित किया था। वाणिज्यकर विभाग के डेटाबेस के साथ हमारे तिर्यक जांच से पता चला कि इनके

आवर्त ₹ 1 लाख की निर्दिष्ट मात्रा से अधिक होने के बावजूद, प्रचलित कानून के अनुसार ये पट्टेदार निबंधित नहीं थे। परिणामस्वरूप, अर्थदंड सहित ₹ 6.32 करोड़ के कर आरोपित नहीं किये गये।

तदन्तर, पाकुड़ वाणिज्यकर अंचल में निबंधित एक व्यवसायी के मामले में यह देखा



गया कि व्यवसायी के निबंधन की स्वीकृति करदेयता तिथि 1 नवंबर, 2011 के साथ प्रदान की गई थी। हालांकि, मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) आद्रा से प्राप्त आंकड़ों कि तिर्यक-जांच से पता चला कि व्यवसायी वास्तव में 2010-11 के दौरान पत्थर गिट्टी की आपूर्ति के

लिए ₹ 1.60 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था। इस प्रकार, व्यवसायी 2010-11 की अवधि के लिये ₹ 20.00 लाख के अर्थदंड सहित ₹ 40.00 लाख के कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। नमूना जांच से अर्थदंड सहित ₹ 6.72 करोड़ के कर का निर्धारण नहीं होने का पता चला (परिशिष्ट-1)।

<sup>5</sup> गिरिडीह, गुमला और रामगढ़।

<sup>6</sup> न्यूनतम सरकारी दर से परिकल्पित -2010-11- ₹ 230 प्रतिघनमीटर , 2011-12 और:2012-13- ₹ 260 प्रतिघनमीटर और 2013-14 और 2014-15- ₹ 354 प्रतिघनमीटर ।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि अनिबंधित व्यवसायियों कि पहचान करने और उसके वसूली के लिए कार्रवाई समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। तदन्तर, यह भी कहा गया कि झारखंड के पट्टेदारों द्वारा प्रेषित महत्वपूर्ण/लघु खनिजों के आँकड़ों को प्रदेश के सभी खनन कार्यालयों से प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा रामगढ़ वाणिज्यकर अंचल से संबंधित 23 पट्टेदारों के मामले में ₹ 1.75 करोड़ की मांग सृजित की गई और ₹ 0.67 लाख की वसूली की गयी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

### 2.3.6.2 कार्य संवेदक निबंधित नहीं थे

विभाग मुख्य ठेकेदारों के कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध उप-ठेकेदारों की स्रोत पर की गयी कर की कटौती (टीडीएस) के विवरण का उपयोग 71 अनिबंधित उप-ठेकेदारों का पता लगाने के लिए नहीं किया। फलस्वरूप, अर्थदंड सहित ₹ 6.15 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया गया।

हमने राँची पूर्वी और राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचलो मे निबंधित चार कार्य संवेदकों के कर निर्धारण अभिलेखों<sup>7</sup> के नमूना जांच (जनवरी 2016) से पाया कि उपर्युक्त



संवेदकों ने 2010-11 और 2011-12 के दौरान 223 उप-संवेदकों को कार्यसंविदा के निष्पादन हेतु ₹ 243.61 करोड़ का भुगतान किया था और कर के आरोपण से छूट का लाभ उठाया था। हमने वा.क.वि. के डेटाबेस से तिर्यक-जांच किया और पाया कि 223 उप-संवेदकों में से 71 उप-संवेदकों ने ₹ 23.47 करोड़ का भुगतान

प्राप्त किया जो निबंधित नहीं थे, हालांकि वे ₹ 25,000 की निर्धारित सीमा को पार कर चुके थे। करनिर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) ने मुख्य कार्यसंवेदकों का कर निर्धारण किया, लेकिन उन 71 अनिबंधित उपसंवेदकों का पहचान नहीं किया। इस प्रकार, अर्थदंड सहित ₹ 6.15 करोड़ का देय कर आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि कर प्रभाव अल्प होगा क्योंकि पहले से ही मुख्य

<sup>7</sup> करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश, झा.मू.व.क.-409 और टीडीएस प्रमाण पत्र।

ठेकेदार द्वारा चार प्रतिशत टीडीएस कि कटौती की जा रही है। हालांकि, वे एक समयबद्ध तरीके से उचित सत्यापन के बाद उप-संवेदकों को निबंधित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया। हमारी प्रतिक्रिया है कि टीडीएस की दर 2010-11 के दौरान दो प्रतिशत था और कार्यसंविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल पर मू.व.क. पांच और 14 फीसदी के बीच थी। इस प्रकार, उत्तर युक्तियुक्त नहीं था और विभाग उन 71 अनिबंधित संवेदकों को कर के दायरे में लाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

### 2.3.6.3 व्यवसायी आयात गतिविधियों में शामिल पर निबंधित नहीं थे

दो अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा आयातित माल का पता नहीं लगाया गया और ₹ 24.78 करोड़ के कर और अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

हमने प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क महानिदेशालय, नई दिल्ली से देश के बाहर से झारखंड में आयातित माल के आँकड़ों को संगृहीत किया (जून 2016)। हमने 21 व्यवसायियों, जिन्होंने देश के बाहर से माल का आयात किया था, के लेन-देन की नमूना जांच की (जून 2016), जिसमें से दो व्यवसायियों ने 2012-13 और 2013-14 के बीच ₹ 226.01 करोड़ का एक्सेसरीज़ के साथ मोबाइल फोन एवं फर्नीचर का आयात किया था। हमने वा.क.वि. के डेटाबेस से तिर्यक-जांच किया और पाया कि उपरोक्त दोनों व्यवसायी वा.क.वि. में निबंधित नहीं थे। इस प्रकार, आयात गतिविधियों में शामिल व्यवसायियों का पता नहीं चला और करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 24.78 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ जैसा कि तालिका-2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायी का नाम	पता	वस्तु	अवधि	आयातित माल का मूल्य	कर की दर (%)	भुगतय कर आरोप्य अर्थदंड	कुल
1	झरिया गुलजार अहमद	घर सं.-124, ग्राम-ईदगाह मुहल्ला पाथरडीह, धनबाद	दूरदर्शन के साथ/बिना दो सिम के साथ मोबाइल फोन, हेड फोन्स, पीछे के आवरण आदि	2012-13	213.87	5	10.69 10.69	21.38
2	देवघर भुवनेश्वर नाथ	द्वारिका नाथ कुँवर(के पुत्र), जलसार रोड, एच साह लेन, पास जगदंबा आश्रम, देवघर	फर्नीचर	2012-13 और 2013-14	12.14	14	1.70 1.70	3.40
कुल					226.01			24.78

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया

(अगस्त 2016) और कहा कि मामले को देखा जाएगा और अर्थदंड के साथ कर लगाया जाएगा। तदन्तर, लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर कि वर्तमान में कोई घोषणा पत्र देश के बाहर से आयातित माल पर नियन्त्रण रखने के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, विभाग ने कहा कि माल के आयात की उचित जांच करने के लिए जवाबदेही हेतु तंत्र के अन्वेषण करने कि संभावना का पता लगाया जाएगा। बाद में विभाग ने झरिया वाणिज्यकर अंचल के क्षेत्राधिकार में अनिबंधित व्यवसायी का पता लगाया, व्यवसायी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया और ₹ 21.38 करोड़ का मांग सृजित किया (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार शीर्ष स्तर पर उचित निगरानी के साथ-साथ अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान करने और उन्हें कर के दायरे में लाने के लिए आवधिक सर्वेक्षण और आँकड़ों का बिभागान्तर्गत/अंतर्विभागीय विनिमय के आयोजन पर विचार कर सकती हैं।

### 2.3.7 खरीद/बिक्री आवर्त का छिपाव

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 37(6) और के.बि.क. अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि व्यवसायी ने ऐसे आवर्त के ब्यौरे को छुपाया है या ऐसे आवर्त का गलत विवरण प्रस्तुत किया है जिससे विवरणित आँकड़े वास्तविक राशि से कम हैं, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी के छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में इस तरह निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुने के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा। तदन्तर, झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 40 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी को कर निर्धारण के पूर्व या अन्यथा पता लगाता है कि किसी निबंधित व्यवसायी ने उसके द्वारा भुगतेय कर की राशि को कम करने की दृष्टि से किसी बिक्री या खरीद या उसका कोई ब्यौरा छिपाया है या स्वयं द्वारा प्रस्तुत विवरणी में अपने आवर्त का गलत तथ्य या अपने बिक्री या खरीद का गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया है, वह निर्धारिती को अप्रकट किये गये या छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर के अलावा ब्याज के रूप में पाँच प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एक राशि भुगतान करने का निर्देश देगा। तदन्तर, जुलाई 2014 से ब्याज को अर्थदंड से बदल दिया गया, जो निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के तिगुने के समतुल्य राशि हैं।

### 2.3.7.1 वा.क.वि. में संचालित तिर्यक-जाँच के परिणाम

विभागान्तर्गत आँकड़े के तिर्यक-जाँच ने बिक्री/खरीद आवर्त के छिपाव और परिणामी ₹ 51.17 करोड़ के कर एवं अर्थदंड के अवनिर्धारण को उद्घटित किया।

अभिलेखों की नमूना जाँच की (अगस्त 2015 और अप्रैल 2016 के बीच) जिसमें से कोयला, लौह-अयस्क, लोहा एवं इस्पात और कार्यसंविदा के मालों के 42 व्यवसायियों ने 2010-11 और 2012-13 के बीच ₹ 450.58 करोड़ की खरीद/बिक्री दिखाया था जिस पर करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण सम्पन्न किया गया (जून 2013 और मार्च 2015 के बीच)।

हमने झारखंड के उसी अंचल या अन्य वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित प्रतिपक्षों के प्रतिवेदित लेनदेन की सत्यता की जांच करने के लिए अभिलेखों की तिर्यक-जांच किया और पाया कि वास्तव में इन व्यवसायियों द्वारा उक्त अवधि के दौरान ₹ 693.49 करोड़ मूल्य के माल की खरीद या बिक्री की गयी थी। इस प्रकार, व्यवसायियों द्वारा ₹ 242.91 करोड़ के आवर्त का छिपाव किया गया था। यद्यपि, बिक्री/खरीद के बारे में जानकारी उसी अंचल या वा.क.वि. के अन्य अंचलों में उपलब्ध था, क.नि.प्रा. निर्धारित प्रावधानों के तहत तिर्यक-जाँच करके वास्तविक आवर्त का पता लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप अर्थदंड सहित ₹ 51.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-II)।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

### 2.3.7.2 झारखंड सरकार के अन्य विभागों से संचालित तिर्यक-जाँच के परिणाम

झारखंड सरकार के अन्य विभागों के साथ किए गए लेन-देन की तिर्यक-जांच करने पर 25 निबंधित व्यवसायियों द्वारा खरीद/बिक्री आवर्त के छिपाव का पता चला और परिणामस्वरूप ₹ 95.58 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

हमने कार्य विभाग(गों)/उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/जे.बी.वी.एन.एल. से झारखंड में निबंधित व्यवसायियों द्वारा कार्यसंविदा हेतु भुगतान प्राप्ति/बिक्री/खरीद/उत्पाद शुल्क, लाइसेंस शुल्क, आयात शुल्क से संबन्धित आंकड़ों को संग्रहित किया और इसे वा.क.वि. में उपलब्ध उनकी विवरणियों के साथ तिर्यक-जाँच की। हमने कर निर्धारण अभिलेखों से पाया (अक्टूबर 2015 और जनवरी 2016 के बीच) कि 75 व्यवसायियों

<sup>8</sup> आदित्यपुर, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, झरिया, कतरास, पलामू, रांची पूर्वी, रांची दक्षिणी, रांची विशेष, रांची पश्चिमी और तेनुघाट।



में से, चार वाणिज्यकर अंचलों<sup>9</sup> में निबंधित, भा.नि.वि.श., कोयला, कार्यसंविदा सामग्रियों के 25 व्यवसायियों ने 2010-11 और 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 104.70 करोड़ की खरीद/बिक्री दिखाया जिस पर क.नि.प्रा. ने (जनवरी 2012 और मार्च 2015 के बीच) कर निर्धारण सम्पन्न किया। हालांकि, हमने पाया कि इन व्यवसायियों ने ₹ 333.20 करोड़ का लेन-देन किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 228.50 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ। इस प्रकार, राज्य के अन्य विभागों से प्राप्त आंकड़ों के साथ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की तिर्यक-जांच को संचालित करने में विफल रहने के कारण अर्थदण्ड सहित ₹ 95.58 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-III)।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में हमारे लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। बाद में विभाग ने गुमला वाणिज्यकर अंचल से संबंधित आठ मामलों में ₹ 1.16 करोड़ के अतिरिक्त मांग का सृजन किया (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि कर का अपवंचन रोकने के लिए, झारखंड सरकार के अन्य विभागों और वा.क.वि. में निबंधित व्यवसायियों के बीच हुए लेनदेन को नियमित आधार पर लेन देन की तिर्यक-जाँच की प्रणाली को सुदृढ़ करने पर सरकार विचार कर सकती है।

### 2.3.7.3 भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संचालित तिर्यक-जाँच के परिणाम

भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आंकड़ों का वा.क.वि. में निबंधित 64 व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणियों के साथ किये गये तिर्यक-जाँच से खरीद/बिक्री आवर्त के छिपाव का पता चला और फलस्वरूप ₹ 1,026.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।



• हमने भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों<sup>10</sup> से झारखंड में निबंधित व्यवसायियों के लिये आपूर्ति/बिक्री/खरीद/उत्पाद शुल्क/देश के

<sup>9</sup> गुमला, रांची पूर्वी, रांची दक्षिणी और रांची विशेष।

<sup>10</sup> 1. आद्रा और चक्रधरपुर में भारतीय रेल मंडल, 2. उप मुख्य अभियंता (नि.), पूर्व मध्य रेलवे, पटना का कार्यालय, 3. भारतीय खान ब्यूरो कोलकाता, 4. प्रणाली, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क निदेशालय, नई दिल्ली, 5. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (मुख्यालय), रांची और 6. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रांची और जमशेदपुर का कार्यालय।

बाहर से आयातित माल संबन्धित आंकड़ों को संग्रहित किया और इसे वा.क.वि. में उनकी विवरणियों के अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच किया। नमूना जाँच हेतु 169 मामलों में से, 11 वाणिज्यकर अंचलों<sup>11</sup> में निबंधित, कोयला, आयरन कास्टिंग, कैल्साइड अल्युमिना, लौह अयस्क, पत्थर गिट्टी, फर्नीचर, लकड़ी आदि, की 44 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों से हमने पाया (नवंबर 2015 और जून 2016) कि इन व्यवसायियों ने 2010-11 और 2013-14 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 11,438.92 करोड़ की खरीद/बिक्री दर्शाया था जिसपर करनिर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण सम्पन्न किया (फरवरी 2013 और मार्च 2016 के बीच)। हालांकि, तिर्यक जांच हेतु प्राप्त आंकड़ों की तुलना से हमने पाया कि व्यवसायियों ने ₹ 18,386.57 करोड़ का लेनदेन किया था, परिणामस्वरूप ₹ 6,947.65 करोड़ रुपये के आवर्त का छिपाव हुआ। इस प्रकार, केन्द्र सरकार के विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आंकड़ों के साथ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की तिर्यक जांच की व्यवस्था की अपर्याप्त कार्यान्वयन के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत अर्थदण्ड सहित ₹ 650.50 करोड़ के कर का अवानिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-IV)। दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले तालिका-2.4 में दर्शाये गये हैं।

तालिका-2.4

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	भुगतये कर आरोप्य अर्थदंड	कुल
1	चाईबासा 20191200625	2012-13	लौह अयस्क	2,502.77 1,047.61	1,455.16	5	72.76 0.00	72.76
		हमने आईबीएम, कोलकाता से झारखंड के पट्टेदारों द्वारा प्रेषित लौह अयस्क की मात्रा और औसत बिक्री मूल्य के आंकड़ों की माँग की और पाया कि व्यवसायी द्वारा हस्तांतरित मालों का वास्तविक मूल्य ₹ 2,502.77 करोड़ था (जिसपर पट्टेदार द्वारा रॉयल्टी का भुगतान किया गया था)। हालांकि, व्यवसायी ने विवरणी में ₹ 1,047.61 करोड़ मूल्य के माल का हस्तांतरण दिखाया था जिस पर कर निर्धारण को सम्पन्न किया गया। इस प्रकार, हस्तांतरित मालों का अवमूल्यन किया गया।						
2	तेनुघाट 20042205379	2011-12	कोयला	682.99 245.59	437.40	5	21.87 43.74	65.61
		सीसीएल (मुख्यालय), रांची से एकत्र किये गये आंकड़ों/ सूचना (लाभ और हानि खाते और संलग्न अनुसूची) का व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में ₹ 682.99 करोड़ के मालों की बिक्री की थी लेकिन अपनी मू.व.क. विवरणियों में ₹ 245.59 करोड़ की बिक्री ही दर्शाया था, जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।						
3	रामगढ़ 20021905607	2012-13	वायर रॉड और रीबार	346.53 83.58	262.95	5	13.15 26.30	39.45
		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी (ई आर-4) के अनुसार विनिर्माण व्यय ₹ 346.53 करोड़ था, जबकि मू.व.क. अभिलेख में ₹ 83.58 करोड़ ही दिखाया गया था, जिससे उत्पादन की लागत कम हो गया, जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।						

<sup>11</sup> आदित्यपुर, चाईबासा, धनबाद, हजारीबाग, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची पूर्वी, रांची दक्षिणी, रांची पश्चिमी और तेनुघाट।

तालिका-2.4

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम टिन	अवधि	वस्तु	वास्तविक आवर्त लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	भुगतय कर आरोप्य अर्थदंड	कुल
4	आदित्यपुर 20870900521	2012-13	मोटर पार्ट्स	94.49 2.85	91.64	10	9.16 18.32	27.48
		महानिदेशक प्रणाली, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आयात का वास्तविक मूल्य (माल दुलाई, बीमा और सीमा शुल्क सहित) ₹ 94.49 करोड़ था जबकि व्यवसायी ने इसे बिक्री कर विवरणी में ₹ 2.85 करोड़ ही दिखाया था जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया।						
5	पाकुड़ 20281305723	2011-12	पत्थर गिट्टी	9.08 0.00	9.08	14	1.27 2.54	3.81
		व्यवसायी ने 2011-12 के दौरान कोई भी अंतर्राज्य बिक्री नहीं दिखाया था, हालांकि, म.रे.प्र. दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के हमारी तिर्यक जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने उक्त अवधि के दौरान वास्तव में ₹ 9.08 करोड़ के पत्थर गिट्टी की आपूर्ति की थी।						

• इसी तरह नौ वाणिज्यकर अंचलों<sup>12</sup> में ऑटो पार्ट्स, पेय पदार्थ, बिस्कुट, लोहा और इस्पात, फेरो मैंगनीज, लकड़ी आदि में व्यवसाय करने के लिए निबंधित 38 व्यवसायियों ने 2013-14 और 2014-15 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 5,631.53 करोड़ की खरीद/बिक्री दर्शाया, तदनुसार करों का भुगतान किया। हालांकि, हमने पाया कि व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 7,145.79 करोड़ मूल्य के मालों की खरीद/बिक्री की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,514.26 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ जिस पर अधिनियम की धारा 40(2) के अंतर्गत व्यवसायी ब्याज/अर्थदण्ड सहित ₹ 375.86 करोड़ के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

इस प्रकार, केन्द्र सरकार के विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आंकड़ों के साथ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की तिर्यक-जाँच की व्यवस्था का कार्यान्वयन अपर्याप्त थी जिसके फलस्वरूप 64 व्यवसायियों के मामले में अर्थदण्ड सहित ₹ 1,026.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमति व्यक्त की (अगस्त 2016) और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से खरीद के आंकड़ों को प्राप्त करने का निर्देश दिया जाएगा। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशांसा करते हैं कि सरकार व्यवसायियों के द्वारा केंद्र सरकार के विभागों और उपक्रमों से किये गए सौदों की तिर्यक-जाँच के लिए एक डेटाबेस का सृजन एवं उसके आवधिक अद्यतनीकरण करने पर विचार कर सकती है।

<sup>12</sup> आदित्यपुर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, रांची पूर्वी, रांची दक्षिणी, रांची पश्चिमी और सिंहभूम।



### 2.3.8 स्रोत पर की गई कर की कटौती (टी.डी.एस.) का नहीं/कम जमा किया जाना

सरकारी खातों में जमा टी.डी.एस को कर निर्धारण अभिलेखों के साथ की गयी तिर्यक-जाँच से पता चला कि अर्थदंड सहित ₹ 15.68 करोड़ का टी.डी.एस चार व्यवसायियों द्वारा नहीं/कम जमा किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 44 और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचना प्राविधित करता है कि कोई व्यक्ति कार्य संविदा के निष्पादन हेतु भुगतान किसी मूल्यवान प्रतिफल के रूप में करते समय उससे दो प्रतिशत की दर से अग्रिम कर की कटौती (टी.डी.एस.) करेगा। धारा 44 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, पूरे या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी, उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, भुगतान करने में विफल उपरोक्त कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड की राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने रांची पूर्वी और रांची पश्चिमी वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित चार व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों से पाया कि व्यवसायियों ने 2010-11 और 2011-12 के बीच की अवधि के लिये कार्यसंविदा पर ₹ 21.39 करोड़ के टी.डी.एस. कटौती को दर्शाया था। हमने वा.क.वि. के डेटाबेस और उसी अंचल/अन्य अंचलों में निबंधित दूसरे व्यवसायियों/उपसंवेदकों के कर निर्धारण अभिलेखों से इस तथ्य की सत्यता की तिर्यक-जांच की और पाया कि ₹ 21.39 करोड़ में से मात्र ₹ 13.55 करोड़ ही व्यवसायी द्वारा जमा किया गया था। यद्यपि व्यवसायीवार मू.व.क./टी.डी.एस. के भुगतान के बारे में सूचना अंचल के कम्प्यूटरीकृत भुगतान मॉड्यूल में उपलब्ध था, तथापि करनिर्धारण प्राधिकारी नें कर निर्धारण सम्पन्न करते समय (मार्च 2014 और मार्च 2015 के बीच) इसका जांच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 करोड़ का टी.डी.एस.व्यवसायी द्वारा नहीं/कम जमा किया गया, इसके अलावा संग्रहित टी.डी.एस. जमा नहीं करने के लिए ₹ 7.84 करोड़ के अर्थदण्ड के भुगतान करने की देयता भी थी।

हमारे द्वारा मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने पर, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि इस संबंध में उचित सत्यापन के बाद सुधारात्मक उपायों को लागू किया जाएगा। इसके बाद, रांची पूर्वी वाणिज्यकर अंचल के एक मामले में ₹ 23.43 लाख के अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया और उसे मूल मांग से समायोजित किया गया (जून 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार टी.डी.एस संग्रहण और विवरणियों के माध्यम से कोषागार में उनकी प्रेषण की निगरानी के लिए एक तंत्र गठित करने पर विचार कर सकती है।

### 2.3.9 उपसंहार

विभाग में निबंधन हेतु उत्तरदायी सौदों की तिर्यक-जाँच के लिए व्यवस्था का कार्यान्वयन व्यवसायियों की पहचान करने में अपर्याप्त थी। विभाग कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस/उप-संवेदकों के ब्यौरों का उपयोग अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने के लिए नहीं किया। तदन्तर, झारखंड सरकार और भारत सरकार के अन्य विभागों से, झारखंड के व्यवसायियों द्वारा किए गए सौदों के आंकड़ों/सूचना संग्रहण के लिए मौजूदा तंत्र अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर राजस्व का रिसाव हुआ।

### 2.3.10 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार:

- शीर्ष स्तर पर समुचित अनुश्रवण के साथ अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान कर उन्हें कर दायरे में लाने के लिए आवधिक सर्वेक्षणों और विभागान्तर्गत/अंतर्विभागीय आँकड़ों के विनिमय करने;
- कर अपवंचन रोकने के लिए, वा.क.वि. में निबंधित व्यवसायियों द्वारा झारखंड सरकार के अन्य विभागों के साथ किए गए लेनदेन की नियमित रूप तिर्यक-जांच से करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने;
- झारखंड के व्यवसायियों द्वारा, केन्द्र सरकार के विभागों और उपक्रमों से किए गए लेनदेन की तिर्यक-जांच हेतु एक डेटाबेस के सृजन और आवधिक अद्यतनीकरण करने एवं; और
- टी.डी.एस. संग्रहण और विवरणियों के माध्यम से कोषागार में उनके प्रेषण के अनुश्रवण हेतु एक तंत्र की स्थापना करने पर विचार कर सकती है।

## 2.4 झारखंड में वाणिज्यकर विभाग में बकाये राजस्व की वसूली की प्रणाली

### 2.4.1 परिचय

वित्तीय वर्ष खत्म होने से तीन वर्षों की समाप्ति के पूर्व कर निर्धारण प्रारंभ एवं पूर्ण किया जाना आवश्यक है। निर्धारित कर माँग पत्र में निर्दिष्ट ढंग और समय के भीतर निर्धारित द्वाारा भुगतान किया जाएगा जो सामान्यतः ऐसे माँग पत्र तामिल होने की तिथि से 30 दिनों से कम नहीं होगा। कर की राशि, दंड या कोई अन्य राशि जो नोटिस के अनुसरण में भुगतान की नियत तिथि के बाद भी बकाया रहता है, बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली (बि.उ.लो.मां.व.) अधिनियम, 1914 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगी। बकाया की वसूली बैंक बैलेंस से और संपत्ति की नीलामी के पश्चात हुए बिक्री प्राप्ति से किया जा सकता है। वैसे मामलों में, जहाँ बकायेदार का राज्य में कोई संपत्ति नहीं है लेकिन किसी अन्य राज्य में संपत्ति है, तो संबंधित करनिर्धारण प्राधिकारी को अन्य राज्य के राजस्व प्राधिकारी से पत्राचार करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, उस राज्य जिसमें बकायादार ने संपत्ति अर्जित है के जिले के समाहर्ता को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र अग्रेषित करने की आवश्यकता है। बशर्ते जहाँ ऐसी राशि के संबंध में एक अपील स्वीकार कर लिया गया हो, अपीलीय प्राधिकारी ऐसी राशि या उसके हिस्से की वसूली पर जब तक अपील लंबित हो रोक लगा सकता है।

### 2.4.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

हमने अधिनियम, नियमावलियों के प्रावधानों और विभागीय निर्देशों के अनुपालन, पर्याप्तता और उचित प्रवर्तन के साथ-साथ देय कर, दंड/ब्याज या कोई अन्य देय राशि की वसूली के संबंध में विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की दृष्टि से लेखापरीक्षा संचालित किया।

### 2.4.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं आच्छादन

वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में राजस्व की बकाया राशि के संग्रहण की प्रणाली की लेखापरीक्षा जनवरी 2016 और मई 2016 के बीच संचालित किया गया। हमने यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा प्रत्येक अंचल के बकायों के आधार पर उन्हें उच्च (₹ 100 करोड़ व अधिक), मध्यम (₹ 20 करोड़ एव ₹ 100 करोड़ के बीच) और निम्न जोखिम (₹ 20 करोड़ से नीचे) में श्रेणीकृत करते हुए 2011-2012 से 2015-16 आच्छादित अवधि के लिए 31 मार्च 2015 को ₹ 1,830.84 करोड़ के कुल

बकाये राजस्व में से ₹ 1,218.62 करोड़ के बकाया राजस्व सन्निहित 28 अंचलों में से 10 अंचलों<sup>13</sup> और सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्यकर के कार्यालय को चयनित किया।


2 अगस्त 2016 को प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, झारखण्ड सरकार के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों, निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। सरकार/विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

### 2.4.3.1 आभारोक्ति

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग आवश्यक सूचना और अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड सरकार के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

### 2.4.3.2 लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

राजस्व का आँकड़ा वाणिज्यकर आयुक्त के कार्यालय और चयनित अंचलों से एकत्र किया गया। 1,130 बकायेदारों के अपील/पुनरीक्षण व बकायों के मामले के अभिलेखों की जाँच की गयी, जिसमें से, 250 बकायेदारों के मामले में अनियमितताएँ पायी गयी, जिनका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है:



<sup>13</sup> आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और सिंहभूम।

## 2.4.4 राजस्व के बकायों की प्रवृत्ति

### 2.4.4.1 बकायों एवं उनके वसूली की विवरणी

1 अप्रैल 2011 को बकाये की राशि ₹ 1,406.35 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 2,384.39 करोड़ हो गई, इस प्रकार 69.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।


वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत 2011-12 से 2015-16 के दौरान संग्रहण हेतु लंबित बकाया राजस्व था जैसा कि तालिका-2.5 में है:

तालिका -2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	योग	कुल	वसूली गयी राशि	अंत शेष	वसूली की प्रतिशतता
2011-12	1,406.35	74.87	1,481.22	230.50	1,250.72	15.56
2012-13	1,250.72	268.58	1,519.30	402.07	1,117.23	26.46
2013-14	1,117.23	348.41	1,465.64	376.46	1,089.18	25.69
2014-15	1,089.18	589.81	1,678.99	315.99	1363.00 <sup>14</sup>	18.82
2015-16	1,363.00	1,359.27	2,722.27	337.88	2384.39 <sup>15</sup>	12.41

स्रोत: आँकड़ा वाणिज्यकर विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत।



उपरोक्त तालिका से यह देखा जाता है कि 1 अप्रैल 2011 का बकाया ₹ 1,406.35 करोड़ 31 मार्च, 2016 को बढ़कर ₹ 2,384.39 करोड़ हो गया इस प्रकार 69.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि 2012-13 से गिरती प्रवृत्ति के साथ प्रत्येक वर्ष में वसूली की दर का दायरा 12.41 और 26.46 प्रतिशत के बीच रहा और 2015-16 में गिर कर 12.41 प्रतिशत हुआ।

<sup>14</sup> वाणिज्यकर विभाग ने 31.03.2015 तक का बकाया ₹ 1,830.84 करोड़ प्रतिवेदित किया।

<sup>15</sup> मार्च 2016 तक के बकाया राजस्व का प्रगामी योग ₹ 2,384.39 करोड़ था लेकिन वाणिज्यकर विभाग ने कुल योग ₹ 2,936.44 करोड़ दर्शाया था।

## 2.4.4.2 कुल सृजित राजस्व की तुलना में बकाया राशि की वसूली


वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा सृजित राजस्व की तुलना में बकायों की वसूली तालिका-2.6 में दर्शाये गये हैं।

तालिका -2.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सृजित राजस्व	वसूली गयी बकाये की राशि	प्रतिशतता <sup>16</sup> कालम 2 से 3	बकायों का अंतशेष	प्रतिशतता कालम 5 से 2
1	2	3	4	5	6
2011-12	5,650.78	230.50	4.25	1,250.72	23.07
2012-13	6,591.61	402.07	6.50	1,117.23	18.05
2013-14	7,524.62	376.46	5.27	1,089.18	15.24
2014-15	8,335.08	315.99	3.94	1,363.00	17.00
2015-16	9,237.90	337.88	3.80	2,384.39	26.79

स्रोत: कुल राजस्व माँग वित्त लेखे, झारखंड सरकार पर आधारित है।



उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान बकाये राजस्व की वसूली की राशि का दायरा कुल सृजित राजस्व के 3.80 एवं 6.50 प्रतिशत के बीच था। इसने दर्शाया कि बकायों की वसूली की गति कम थी और कुल सृजित राजस्व की तुलना में बकायों का अंत शेष 15.24 और 26.79 प्रतिशत के बीच था जो वर्ष 2015-16 में अचानक बढ़ गया।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और प्रत्येक अंचल में वसूली अधिकारी नामित कर बकायों की वसूली

<sup>16</sup> कुल राजस्व माँग से बकाया वसूली घटाकर, बकाया वसूली और बकाया का अंत शेष की प्रतिशतता की गणना की गई है।

हेतु आवश्यक कार्रवाई करने पर सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सरकार बकाये की वसूली के अनुश्रवण के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाने पर विचार कर सकती है और बकायों को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर एक अलग वसूली प्रकोष्ठ, जिसमें महाराष्ट्र वैट अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त (वसूली) की अध्यक्षता में एक पृथक वसूली शाखा बकाएदारों के बैंक खाते, चल व अचल संपत्तियों की जब्ती और संपत्तियों की नीलामी के लिये व्यावहारिक अधिकार से लैस है, का गठन कर उचित कदम उठा सकती है।

#### 2.4.5 अपील, पुनरीक्षण और न्यायालयों में लम्बित माँग

विभाग द्वारा प्रतिवेदित तथा 10 अंचलों से संग्रहित बकायों में विसंगति थी। विभाग ने पूरे राज्य में अदालत, अन्य न्यायिक प्राधिकारों, सरकार और सुधार/पुनरीक्षण में ₹ 722.09 करोड़ लंबित प्रतिवेदित किया जबकि 10 अंचलों द्वारा प्रस्तुत सूचना ने इसे ₹ 1,360.21 करोड़ दर्शाया।

अपील, आयुक्त वाणिज्यकर, न्यायाधिकरण और न्यायालय में 31.03.2015 को लंबित मामलों की स्थिति थी जैसा कि तालिका-2.7 में है।

तालिका-2.7

(₹ करोड़ में)

अपील, पुनरीक्षण और न्यायालय में लम्बित माँग जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया	सन्निहित राशि	अपील, पुनरीक्षण और न्यायालय में लम्बित माँग जैसा कि नमूना जाँच किये गये अंचलों <sup>17</sup> द्वारा प्रस्तुत	मामलों की संख्या	सन्निहित रकम
उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक प्राधिकार	450.81	उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधिकरण	309	830.76
सरकार, सुधार एवं पुनरीक्षण	271.28	वा.क.आ. न्यायालय एवं वा.क.सं.आ. अपील	672	529.45
<b>योग</b>	<b>722.09</b>		<b>981</b>	<b>1,360.21</b>

उपरोक्त तालिका से देखा गया कि विभाग ने 31.03.2015 तक पूरे राज्य में न्यायालय, अन्य न्यायिक प्राधिकारों, सरकार एवं सुधार/पुनरीक्षण में ₹ 722.09 करोड़ लंबित प्रतिवेदित किया है, जबकि 10 अंचलों द्वारा प्रस्तुत सूचना ने 981 मामलों में ₹ 1,360.21 करोड़ प्रतिबिंबित किया। इस प्रकार, 10 अंचलों के लंबित मामलों की स्थिति विभाग द्वारा पूरे राज्य के प्रतिवेदित लंबित स्थिति से अधिक थी। यह दर्शाता है कि बकायों की स्थिति जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया का अंचलों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के साथ मिलान की आवश्यकता है। यह सरकार द्वारा बकायों के अपर्याप्त अनुश्रवण को भी इंगित करता है।

<sup>17</sup> आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और सिंहभूम।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और अपील, पुनरीक्षण और न्यायालयों में लंबित बकायों का सही आँकड़ा सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त किया और कहा कि विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के साथ समान मामलों के ओवरलैपिंग की संभावना हो सकती थी। तदंतर, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हम, तथापि, अनुशंसा करते हैं कि विशेष रूप से जुलाई 2011 से प्रभावी विवरणियों के ई-फाइलिंग और आँकड़ों के आंकिकीकरण के मद्देनजर सरकार को समग्र विभागीय आँकड़े और वे जो अंचलों में संधारित हैं, के बीच के अंतर के मिलान के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

#### 2.4.6 पुनरीक्षणाधीन मामलों का निष्पादन

वाणिज्यकर न्यायाधिकरण (वा.क.न्या.) और वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) के न्यायालय में, जनवरी 2010 और मार्च 2014 के बीच दायर 418 मामलों में से, पुनरीक्षण के ₹ 274.85 करोड़ सन्निहित 166 मामले झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कालबाधित हो गये, जैसा कि नीचे कंडिका 2.4.6.1 से 2.4.6.2 में उल्लिखित है।

##### 2.4.6.1 वाणिज्यकर न्यायाधिकरण (वा.क.न्या.) के न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित पुनरीक्षण के मामले

वा.क.न्या. के न्यायालय में, 7 मई 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान दायर पुनरीक्षण के 298 मामलों में से ₹ 51.90 करोड़ सन्निहित 62 पुनरीक्षण के मामले लंबित थे जिनका निष्पादन मामलों को दायर करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर अपेक्षित था। झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत ये मामले कालबाधित हो गये हैं।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 80 (1) और 2 (ख) के अंतर्गत, अपील पर पारित एक आदेश, आवेदन पर, न्यायाधिकरण द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पारित कोई आदेश या एक आदेश जिसके विरुद्ध एक अपील प्रदान की गई हो, आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदंतर, वा.क.न्या द्वारा पुनरीक्षण के मामलों का निष्पादन हेतु दो वर्षों की समय सीमा निर्धारित करने के लिये धारा 80 की उप-धारा (6) को 07 मई 2011 से संशोधित किया गया।

मई 2016 तक लंबित मामलों की प्रमंडलवार स्थिति जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया तालिका-2.8 में निम्नानुसार है।



तालिका-2.8

(₹ करोड़ में)

प्रमंडल का नाम	मामलों की संख्या	राशि	झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत 07.05.2011 से मार्च 2014 की अवधि से संबंधित मामलों की संख्या	राशि
जमशेदपुर	92	111.49	27	8.58
राँची	42	73.86	2	1.50
धनबाद	64	16.71	7	0.66
हजारीबाग	74	116.99	21	41.03
संथाल परगना	26	44.18	5	0.13
<b>योग</b>	<b>298</b>	<b>363.23</b>	<b>62</b>	<b>51.90</b>

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि ₹ 363.23 करोड़ सन्निहित 298 मामले वा.क.न्या., झारखंड में निष्पादन हेतु मई 2016 तक लंबित थे। जिसमें से झा.मू.व.क. अधिनियम से संबंधित ₹ 51.90 करोड़ सन्निहित 62 मामले 7 मई 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान दायर किए गए। मामलों का निष्पादन निर्धारित अवधि में नहीं किया गया और परिणामतः मामले समय सीमा द्वारा बाधित हो गये हैं। इस प्रकार, ₹ 51.90 करोड़ के कर की वसूली नहीं हो सकी।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि विभाग अधिनियम में समय की सीमा के संबंध में आवश्यक संशोधन लाने पर विचार कर रहा था। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

#### 2.4.6.2 वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) के न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित पुनरीक्षण मामले

वा.क.आ. के न्यायालय में, 2010 से 2013 के दौरान दायर 120 मामलों में से ₹ 222.95 करोड़ सन्निहित 104 पुनरीक्षण के मामलों को दायर किये जाने की तिथि से दो वर्षों के भीतर निष्पादित करना अपेक्षित था, लंबित थे। ये मामले झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कालबाधित हो गये हैं।

झा.मू.व.क. अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावलियां, विभाग में उच्च प्राधिकारियों या न्यायाधिकरण को करनिर्धारण प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के रूप में पर्याप्त उपचार का प्रावधान करता है।

वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त स्वप्रस्ताव पर या एक आवेदन पर, ऐसे आदेश की वैधता और औचित्य के प्रति स्वयं को संतुष्ट करने हेतु, किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेखों को माँग सकता है व उसकी जाँच कर सकता है जिसमें अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया हो, और

अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा 4 के अंतर्गत अभिलेखों की जाँच के बाद ऐसा आदेश जो वह उचित समझता हो पारित कर सकता है। तदंतर, वा.क.आ. द्वारा पुनरीक्षण के मामलों के निष्पादन हेतु दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित करने के लिये 07 मई 2011 से धारा 80 की उप-धारा (6) को संशोधित किया गया।

हमने वा.क.आ. न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित पुनरीक्षण के मामलों के संबंध में सूचना माँगा। उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी तालिका-2.9 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.9

अवधि	आरंभिक शेष	योग	कुल	निष्पादन	अंत शेष	निष्पादन प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4 से 5)
2011	1,277	1,398	2,675	800	1,875	29.91
2012	1,875	1,450	3,325	800	2,525	24.06
2013	2,525	1,435	3,960	1,250	2,710	31.57
2014	2,710	1,412	4,122	1,280	2,842	31.05
2015	2,842	1,400	4,242	1,240	3,002	29.23

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि 1 जनवरी 2011 को 1,277 लंबित मामले 31 दिसंबर 2015 को बढ़कर 3,002 हो गये, इस प्रकार 135.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि प्रत्येक वर्ष में निष्पादन की दर का दायरा वर्ष 2013 से घटती प्रवृत्ति के साथ 24.06 से 31.57 प्रतिशत के बीच था।

हमने 1 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2013 के बीच दायर ₹ 257.24 करोड़ की विवादग्रस्त राशि सन्निहित 120 पुनरीक्षणों के मामलों को नमूना जाँच के लिए चुना और पाया कि ₹ 222.95 करोड़<sup>18</sup> सन्निहित 104 मामले, मई 2016 तक वा.क.आ. के न्यायालय में निष्पादन हेतु लम्बित थे। इन मामलों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिसंबर 2013 और दिसंबर 2015 के बीच निष्पादित करना अपेक्षित था। मामले कालबाधित हो गये थे, इस प्रकार, ₹ 222.95 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और कहा कि अधिनियम में समय की सीमा के संबंध में आवश्यक संशोधन लाने पर विभाग विचार कर रहा था। तदंतर यह कहा गया कि ऐसे मामलों में जहाँ कोई कार्रवाई/निर्णय नहीं लिया गया और जो मामले कालबाधित हो गये, निचली अदालतों के निर्णय कायम रहेंगे। लेखापरीक्षा ने इस विषय पर स्पष्टीकरण माँगा और मामलों के कालबाधित हो जाने के परिणामतः निचले न्यायालय द्वारा राशि की वसूली और माँग पत्रों को निर्गत करने के रूप में विभाग द्वारा की गयी

<sup>18</sup> ₹ 10.80 करोड़ के 13 मामले 07.05.2011 के पूर्व के थे और शेष ₹ 212.15 करोड़ के 91 मामले 07.05.2011 से दिसम्बर 2013 तक के थे।

कार्रवाई के संबंध में भी पूछा। प्रधान सचिव ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सरकार मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए विशेष आयुक्त की नियुक्ति कर या विभागीय प्राधिकारियों को शक्ति प्रत्यायोजित करने के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपील/पुनरीक्षणाधीन मामलों की आवधिक समीक्षा हेतु निर्देश जारी कर सकती है।

#### 2.4.7 पुनरीक्षणाधीन मामले को स्वीकार किया जाना

पुनरीक्षणाधीन मामले की स्वीकृति हेतु व्यवसायी द्वारा ₹ 1.30 करोड़ (₹ 6.50 करोड़ के निर्धारित कर का 20 प्रतिशत) की राशि जमा करना अपेक्षित था इसके बजाय व्यवसायी द्वारा ₹ 1.06 करोड़ जमा किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 80 के उप धारा 4 के परन्तुक के अंतर्गत, जुलाई 2014 से कोई भी पुनरीक्षण/आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश या अपीलीय आदेश पर आपत्ति करने वाला व्यवसायी निर्धारित कर का 20 प्रतिशत या स्वीकृत कर की पूर्ण राशि जो अधिक हो, का भुगतान नहीं कर देता है।

हमने धनबाद नागरीय वाणिज्यकर अंचल में पाया (मई 2016) कि एक व्यवसायी (मेसर्स अशोक लेलैंड, टिन-20111601279) का 2011-12 की अवधि हेतु 10 फरवरी 2015 को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत ₹ 6.50 करोड़ के कर का निर्धारण किया गया। व्यवसायी ने ₹ 31.00 लाख का स्वीकृत कर जमा कर दिया था। इस प्रकार, शेष राशि ₹ 6.19 करोड़ की शेष राशि के भुगतान हेतु एक माँग पत्र सं. 15551 दिनांक 10 फरवरी 2015 को व्यवसायी को भेजा गया। व्यवसायी ने वाणिज्यकर आयुक्त, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में (पुनरीक्षण वाद संख्या सी.सी.एस.968/2015) पुनरीक्षण हेतु एक आवेदन दर्ज किया। आयुक्त ने अंतिम आदेश होने तक शेष राशि की वसूली स्थगित करने के लिए विवादग्रस्त राशि के विरुद्ध ₹ 75 लाख जमा करने का निर्देश दिया।

तथापि, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत, व्यवसायी को ₹ 1.30 करोड़ (₹ 6.50 करोड़ के निर्धारित कर का 20 प्रतिशत) की राशि जमा करना आवश्यक था इसके बजाय व्यवसायी द्वारा ₹ 1.06 करोड़ (₹ 31 लाख और ₹ 75 लाख) जमा किया गया।

मामले को जून 2016 में विभाग/सरकार को हमारे प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग/सरकार ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और मामले की जाँच करने पर सहमत हुये। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

## 2.4.8 बकायों की वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ करने में कमियाँ

माँग पत्र या तो नहीं दिये गये या छह महीने से लेकर दो वर्ष एक महीने के असामान्य विलंब के बाद दिये गये इस तरह ₹ 5.54 करोड़ के कर और ब्याज की वसूली नहीं हुई।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 17 के प्रावधानों के तहत भुगतान किया जाने वाला कर, अर्थदंड या ब्याज हेतु माँग पत्र जिस तिथि या उसके पूर्व यह भुगतान है निर्दिष्ट करते हुये निर्गत किया जाना आवश्यक है। कर, अर्थदंड या ब्याज की भुगतान न की गयी राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू करने के पूर्व निर्धारिती को माँग पत्र दिया जाना बाध्यकारी है। ऐसी कोई समय सीमा विहित नहीं है जिसके भीतर कर निर्धारण संपन्न होने के बाद माँग पत्र दिया जाना आवश्यक हो, तथापि इसे यथासंभव शीघ्र दिया जाना चाहिए। माँगपत्र फैंक्स, ईमेल सेवा के द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जा सकता है जो जुलाई 2011 से प्रभावी है।

हमने सात वाणिज्यकर अंचलों में 170 व्यवसायियों में से 25 व्यवसायियों के मामले में देखा (मार्च और मई 2016) कि ₹ 554.02 लाख के कर और ब्याज की वसूली हेतु माँग पत्र या तो दिया नहीं गया या असामान्य विलंब से दिया गया। विवरणी तालिका-2.10 में निम्नानुसार हैं:

तालिका-2.10

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायियों की संख्या	कर अवधि	मांग पत्र निर्गत करने की तारीख मांग पत्र दिये जाने की तिथि	मांग पत्र दिये जाने में विलम्ब	बकाया राशि
1.	राँची दक्षिणी	3	2006-07 से 2008-09	मार्च 09 और सितम्बर 10 जून 10 और मार्च 12	15 से 25 माह	40.06
		7	2006-07 से 2009-10	मार्च 09 और मार्च 13	नहीं दिया गया	98.90
2.	राँची पूर्वी	2	2008-09 से 2010-11	मार्च 11 और मार्च 14 मई 12 और सितम्बर 14	6 से 13 माह	5.39
		7	2001-02 से 2009-10	फरवरी 09 और दिसम्बर 15	नहीं दिया गया	61.74
3.	रामगढ़	1	2006-07	जुलाई 11	नहीं दिया गया	219.33
4.	देवघर	2	2011-12	मार्च 15 जनवरी 16 और फरवरी 16	10 से 11 माह	120.20
5.	आदित्यपुर	1	2009-10	अक्टूबर 13 जुलाई 14	9 माह	5.23
6.	सिंहभूम	1	2009-10	मई 12 फरवरी 13	8 माह	1.61

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायियों की संख्या	कर अवधि	मांग पत्र निर्गत करने की तारीख मांग पत्र दिये जाने की तिथि	मांग पत्र दिये जाने में विलम्ब	बकाया राशि
7.	धनबाद नागरीय	1	2009-10	मई 15 नवम्बर 15	6 माह	1.56
<b>योग</b>		<b>25</b>				<b>554.02</b>

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि माँग पत्र दिये जाने में विलंब का दायरा छह महीने और दो साल एक महीने के बीच था।

इसका परिणाम राजस्व की वसूली में अनुवर्ती विलंब में हुआ और कर के बकायों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाहियों पर इसका समग्र प्रभाव पड़ा।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव झा.मू.व.क. नियमावलियों में आवश्यक संशोधन द्वारा कर निर्धारण के बाद माँग पत्र दिये जाने व निर्गत करने की समयावधि निश्चित करने पर सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

#### 2.4.8.1 मांग पत्र दिये जाने में असामान्य विलंब

**कर निर्धारण के चार साल चार माह बीत जाने के बाद व्यवसायी को ₹ 41.52 लाख के अर्थदंड का माँग पत्र दिया गया।**

हमने राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचल में एक व्यवसायी (मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि. टिन-20050100140, अवधि 2007-08) के मामले में पाया (मई 2016) कि 07 फरवरी 2008 को वाणिज्यकर अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान व्यवसायी की सामग्रियाँ जब्त की गयीं। चूँकि व्यवसायी सामग्रियों के समुचित लेखे के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, विहित प्राधिकारी ने झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 70 (5) (ख) के अंतर्गत ₹ 41.52 लाख अर्थदंड का आरोपित किया और 13 फरवरी 2008 को माँग पत्र निर्गत किया गया।

व्यवसायी ने 29 मई 2008 को सं.आ.वा.क. (अपील) के न्यायालय में एक अपील दायर किया। मामले को 01 जुलाई 2008 को अंचल में प्रतिप्रेषित कर दिया गया। 28 अप्रैल 2009 को ₹ 41.52 लाख के अर्थदंड हेतु एक एक-पक्षीय आदेश पारित किया गया पर रिमांड मामलों के कमजोर अनुश्रवण और नियमावलियों में माँग पत्र दिये जाने की समय सूची के प्रावधान के अभाव के कारण व्यवसायी को माँग पत्र चार साल व चार महीने बीत जाने के बाद दिया गया (अगस्त 2013)।

बिलम्ब से माँग पत्र दिये जाने के आधार पर निर्धारिती ने 21 सितम्बर 2013 को सं.आ.वा.क. (अपील) के न्यायालय में एक अपील दायर किया। सं.आ.वा.क. (अपील) ने दिनांक 28 अप्रैल 2009 के पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया और एक नया आदेश पारित करने के लिए 21 दिसंबर 2013 को मामला अंचल को वापस भेज

दिया। तदनुसार, ₹ 38.76 लाख के लिए एक नया आदेश दिया गया और माँग पत्र पुनः निर्गत किया गया (जनवरी 2016)।

इस प्रकार माँग पत्र दिये जाने में चार साल व चार महीने का विलंब असंग्रहित राजस्व पर ब्याज की हानि का कारण बना।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव ने इसे गंभीरता से लिया और सुधारात्मक/अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिये आश्वस्त दिया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सरकारी राजस्व की संरक्षण के उद्देश्य से समयबद्ध सीमा के भीतर माँग पत्र निर्गत करने व दिये जाने के लिए एक समय सूची निर्धारण पर सरकार विचार कर सकती है।

#### 2.4.9 निर्धारित कर के बकायों पर अर्थदंड नहीं लगाया गया

₹ 15.24 करोड़ के निर्धारित कर की अप्राप्त राशि पर ₹ 10.70 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 43 की उपधारा 6 के अंतर्गत, जहाँ एक व्यवसायी निर्धारित कर या आरोपित ब्याज या उस पर अधिरोपित अर्थदंड या उससे देय कोई राशि का माँग पत्र दिये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर भुगतान करने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी को देय राशि के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में, इस कर की राशि के दो प्रतिशत के बराबर एक राशि, अर्थदंड, ब्याज या प्रतिमाह देय कोई राशि उस तिथि के बाद जब यह राशि भुगतान के लिये देय था उस अवधि के लिये जिसके लिये भुगतान में विलंब हुआ हो भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने 10 वाणिज्यकर अंचलों<sup>19</sup> में 224 व्यवसायियों में से 34 व्यवसायियों के कर निर्धारण मामले के अभिलेखों से पाया (मार्च और मई 2016 के बीच) कि 2006-07 से वर्ष 2011-12 की अवधि हेतु जनवरी 2009 और जून 2015 के बीच कर निर्धारण संपन्न किया गया और तदनुसार फरवरी 2009 और जुलाई 2015 के बीच व्यवसायियों को माँग पत्र दिया गया पर मार्च 2016 तक ₹ 15.24 करोड़ का निर्धारित कर वसूली से बाहर रहा। ₹ 10.70 करोड़ का अर्थदंड, हालाँकि कर के बकाये पर आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया (परिशिष्ट-V)।

बहिर्गमन सम्मेलन में, प्रधान सचिव अवलोकनों से सहमत हुये और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिये आश्वस्त किया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

<sup>19</sup> आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और सिंहभूम।

### 2.4.10 राजस्व का प्रमाणित बकाया

229 मामलों में सन्निहित ₹ 44.68 करोड़ प्रमाणित बकाये 10 वर्षों से अधिक समय से निष्पादन हेतु लंबित थे।

अधियाचना पदाधिकारी (अ.प.) और नीलामपत्रवाद पदाधिकारी (नी.पदा.) संयुक्त रूप से नीलामपत्रवाद मामलों के समय पर निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं और परस्पर संज्ञान में लाने और यदि आवश्यक हो तो बिना विलम्ब समाहर्त्ता के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य है। अ.पद. मुख्य रूप से नीलामपत्रवाद के व्यवस्थित आवेदन, आपत्तियों के त्वरित निष्पादन के लिये उत्तरदायी हैं, यदि उसे संदर्भित किया गया हो। नी.प. यह देखने के लिए उत्तरदायी है कि नीलामपत्र कार्यालय में कोई विलम्ब न हो और आवेदन दिये जाने पर यथाशीघ्र नीलामपत्रवाद दायर किये जाते हैं और बि.उ.लो.माँ.व. अधिनियम, 1914 की धारा 7 के अधीन अपेक्षित नोटिस निर्गत किये जाते हैं।

अग्रेतर, झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 43 की उप-धारा 7 और निरसित अधिनियम (बी.एफ. अधिनियम) की धारा 25 की उप-धारा 4 के प्रावधान अधिनियम के अधीन देय कर की वसूली का प्रावधान करते हैं बकाये को यह मानकर कि ये भू-राजस्व के बकाये थे, जिनका बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 या राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अंतर्गत नीलामपत्रवाद की कार्यवाहियों के माध्यम के द्वारा संग्रह किया जा सकता है। बाद वाले अधिनियम के अंतर्गत राज्य में निवास करने वाले दूसरे राज्य के बकायेदारों के संबंध में भी कार्यवाही प्रारंभ किया जा सकता है पर वसूली स्थानीय कानून द्वारा शासित होगा। अग्रेतर, बि.उ.लो.माँ.व. अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत, जब्ती और संपत्ति की बिक्री द्वारा या गिरफ्तारी द्वारा या दोनों रीतियों द्वारा बकायों की वसूली की जा सकती है।

मार्च 2015 में कुल प्रमाणित बकाया जैसा कि वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया ₹ 162.15 करोड़ था। हमने 10 वाणिज्यकर अंचलों से राजस्व का प्रमाणित बकाये का आँकड़ा एकत्र किया। मार्च 2015 में प्रमाणित बकायों का ब्यौरा तालिका-2.11 में निम्नानुसार था:

तालिका-2.11

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	मामलों की संख्या	कुल रकम	वसूली की राशि	शेष	वसूली प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4 से 5)
1	धनबाद नागरीय	54	18.28	4.96	13.32	27.13
2	धनबाद	127	4.28	0	4.28	0.00
3	जमशेदपुर	35	8.95	2.12	6.83	23.69
4	जमशेदपुर नागरीय	56	6.21	1.26	4.95	20.29
5	आदित्यपुर	44	13.05	0	13.05	0.00
6	सिंहभूम	34	7.83	0	7.83	0.00
7	देवघर	59	7.11	3.53	3.58	49.65

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	मामलों की संख्या	कुल रकम	वसूली की राशि	शेष	वसूली प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (4 से 5)
8	राँची पूर्वी	24	13.65	0.04	13.61	0.29
9	राँची दक्षिणी	19	7.35	0.1	7.25	1.36
10	रामगढ़	61	0.32	0	0.32	0.00
<b>योग</b>		<b>513</b>	<b>87.03</b>	<b>12.01</b>	<b>75.02</b>	<b>13.80</b>

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि चार वाणिज्यकर अंचलों में प्रमाणित बकायों की वसूली की दर शून्य थी और अन्य छः वाणिज्यकर अंचलों में वसूली का दायरा 0.29 और 49.65 प्रतिशत के बीच था।

28 अंचलों में से नौ अंचलों<sup>20</sup> में लंबित प्रमाणित बकायों की उम्रवार स्थिति तालिका-2.12 में निम्नानुसार थी:

तालिका -2.12

(₹ करोड़ में)

लंबित रहने की अवधि	मामलों की संख्या	सन्निहित अंचलों की संख्या	सन्निहित राशि
20 साल और उससे अधिक	118	8	2.36
10-20 साल	111	9	42.32
5-10 साल	52	7	13.39
0-5 साल	105	6	12.67
<b>योग</b>	<b>386</b>		<b>70.74</b>

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि नौ अंचलों में प्रमाणित बकायों के 229 मामलों में, वसूली के लिए ₹ 44.68 करोड़ 10 वर्षों से अधिक से लंबित था।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव नीलामपत्रवाद के मामलों में सम्मिलित बकायों के तीव्र निष्पादन के लिए संबंधित अंचलों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने पर सहमत हुए।

सरकार बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू करने के द्वारा सतत अनुश्रवण के माध्यम से बकाया मामलों के तीव्र निष्पादन के लिए निर्देश निर्गत कर सकती है।

### प्रमाणित बकायों के दृष्टान्तस्वरूप मामले

मामलों के दायर करने के 13 वर्ष से लेकर 22 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी प्रभावी अनुपालन की कमी के कारण छः प्रमाणित देनदार के विरुद्ध ₹ 24.35 करोड़ के प्रमाणित बकायों का मामला अनिष्पादित रहा।

<sup>20</sup> आदित्यपुर, देवघर, धनबाद नागरीय, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और सिंहभूम।



- हमने आदित्यपुर वाणिज्यकर अंचल में 21 व्यवसायियों में से मेसर्स सरायकेला ग्लास वर्क्स लिमिटेड, निबंधन सं.-एपी 10(आर)/1(सी) के मामले में पाया (मई 2016), कि व्यवसायी पर 1987-88 से 1992-1993 से संबंधित निर्धारित बकाया कर ₹ 974.75 लाख और 1979-81, 1986-87 और 1993-95 की अवधियों हेतु ₹ 97.91 लाख (कुल ₹ 1,072.66 लाख) था। बकायों की वसूली के लिए उपायुक्त सरायकेला की न्यायालय में नीलामपत्रवाद संख्या 01/2000-01 और 1 (बि.क.)/2002/03 दायर किया गया। बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नीलामवाद की प्रतिलिपि और एक नोटिस नीलामपत्रवाद ऋणी को दिया जाना आवश्यक था लेकिन इसे 2011 तक तामिल नहीं किया गया। इस बीच, व्यवसायी ने तब तक अपना कारोबार बंद कर दिया था। नी.प. ने भी बकायों की वसूली हेतु बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम की धारा 15 का उपयोग नहीं किया था।

विभाग को कोलकाता उच्च न्यायालय के साथ संलग्न एक अधिकृत परिसमापक के अंतर्गत कंपनी के परिसमापन के बारे में पता चला और दिसंबर 2013 में परिसमापक को अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसकी स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। तथापि, इस संबंध में या तो अ.प. या नी.प. द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का संकेत देने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं था (दिसंबर 2013)।

मामले को हमारे बताए जाने पर, उ.वा.क. ने कहा कि मामले के अनुसरण के लिए प्रयास किये जा रहे थे। तथ्य यह है कि नीलामपत्रवाद मामला दायर करने के 15 वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी राजस्व के बकायों की वसूली नहीं हुई थी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

- हमने धनबाद नागरीय वाणिज्यकर अंचल में पाया (मई 2016) कि एक व्यवसायी मेसर्स हावड़ा मोटर्स कंपनी, निबंधन संख्या- डी.यू.-111(आर) के विरुद्ध 1993-94 से 1996-97 की अवधि हेतु ₹ 1.42 करोड़ के राजस्व के बकाया की वसूली हेतु मार्च 2000 में नीलामपत्रवाद मामला संख्या- 66 / वि.क./ 1999-2000 दायर किया गया । दिनांक 02 दिसंबर 2011 की सुनवाई में समाहर्ता ने अवलोकित किया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोलकाता के आदेश द्वारा प्रमाणित ऋणी की अचल संपत्ति नीलाम कर दी गयी थी। समाहर्ता ने विभाग को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम की सम्बन्धित धारा के अंतर्गत क्रेता मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन को इस मामले में वादी बनाने के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। हालांकि, राजस्व की वसूली के लिए बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के क्रेता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसे हमारे इंगित किये जाने के बाद, वा.क.उ. ने कहा कि जाँच करने और क्रेता के विरुद्ध कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, इसके लिये मामले को देखा जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

- हमने धनबाद नागरीय वाणिज्यकर अंचल में एक व्यवसायी, मेसर्स बी. के. जायसवाल के मामले में पाया (मई 2016) कि 1998-2000 की अवधि हेतु ₹ 233.68 लाख के राजस्व के बकाया की वसूली के लिए मार्च-2000 में वाद संख्या-65/बि.क./1999-2000 के द्वारा एक नीलामवाद मामला दायर किया गया, जिसमें से ₹ 85.54 लाख झारखण्ड वाणिज्यकर न्यायाधिकरण के न्यायालय में 16 दिसंबर 2008 से लंबित था। वसूली योग्य राशि ₹ 148.14 लाख थी। न्यायाधिकरण द्वारा इस मामले के निपटारे में विलंब ने बकायों की वसूली को प्रभावित किया।

इसे हमारे इंगित किये जाने के बाद, वा.क.उ. ने कहा कि न्यायाधिकरण में मामले का अनुसरण किया जायगा और नवीनतम अद्यतन स्थिति सूचित किया जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

- हमने राँची पूर्वी वाणिज्यकर अंचल में पाया कि 1993-94 से 2002-03 की अवधि के दौरान 24 व्यवसायियों में से राज्य से बाहर पते वाले (कोलकाता) तीन व्यवसायियों के संबंध में 1980-81 से 1996-97 अवधि हेतु ₹ 985.85 लाख के बकाये की वसूली के लिए नीलामपत्रवाद मामले दायर किये गये जिसकी विवरणी तालिका-2.13 में निम्नानुसार हैं।

तालिका -2.13

(₹ लाख में )

वाद संख्या और दाखिल करने का वर्ष	व्यवसायी का नाम / निबंधन संख्या	अवधि	राशि
1(बि.क.)/ 2002-03	मेसर्स आशीष इनवेस्टमेंट, नि.स.- आर.एन.( ई)- 857 (आर), प्रो.- गणेश कुमार अग्रवाल, पिता- बाला प्रसाद अग्रवाल, 15-ए एवरेस्ट हाउस, 46- ई, चौरंगी रोड कोलकाता।	1987-88 से 1996-97	917.09
4 से 9 (बि.क.)/ 1995-96	मेसर्स पॉली आर्ट इंडस्ट्रीज प्रा.लिमिटेड आर.एन.(ई)-650 (आर)/478 (सी) कोकर औद्योगिक क्षेत्र, प्रो.-अरुण कुमार खोमानी, दिलीप खोमानी, पुत्र- श्री गोविन्द देव खोमानी, वुड स्ट्रीट, कोलकाता।	1989-90 से 1994-95	63.68
2(बि.क.)/ 1993-94	मेसर्स हरलालका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एच. बी. रोड, कोकर, 52/1/ए कॉलोनी स्ट्रीट, कोलकाता।	1980-81	5.08
<b>योग</b>			<b>985.85</b>

अ.प. और नी.प. संयुक्त रूप से नीलामपत्रवाद मामलों का समय पर निष्पादन के लिए उत्तरदायी थे और एक दूसरे के संज्ञान में और यदि आवश्यक हो, तो अविलंब समाहर्ता के संज्ञान में लाने के लिए बाध्य थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीलामपत्रवाद दाखिल करने के 13 से 22 वर्ष से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रमाणित बकायों की वसूली के लिये अ. अ. और नि. अ. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मामले को हमारे इंगित किये जाने के बाद, वा.क.उ. ने कहा (जुलाई 2016) कि बकायेदार पंजीकृत पते पर वास नहीं कर रहे थे। वा.क.उ. ने आगे कहा कि बकायों की वसूली के लिए बकायेदारों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे थे।

प्रधान सचिव के साथ बहिर्गमन सम्मेलन में, आदित्यपुर, धनबाद नागरीय और रांची पूर्वी अंचलों से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई और सरकार द्वारा मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिये आश्वस्त किया गया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

#### 2.4.10.1 नीलामपत्रवाद मामलों के प्रतिवेदन में विसंगतियां

**पंजी-IX और X के बीच ₹ 1.99 करोड़ की विसंगति।**

राजस्व पर्षद के अनुदेश 46 के साथ पठित बि.उ.लो.मां.व. अधिनियम, 1914, के प्रावधानों के अनुसार, बकायों की वसूली हेतु प्रारंभ की गई नीलामपत्रवाद कार्यवाही अंचल में संधारित पंजी-IX में प्रविष्ट किये जाते हैं और इसे नीलामपत्रवाद कार्यालय में भेजा जाना अपेक्षित है जो विवरणियों को पंजी-X में प्रविष्ट करता है। अग्रेतर, नी.अ. यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि नीलामपत्रवाद कार्यालय में कोई विलंब न हो। पर्षद का अनुदेश आगे निर्धारित करता है कि प्रत्येक माह पंजी-IX और पंजी-X का मिलान किया जाना चाहिए।

हमने धनबाद वाणिज्यकर अंचल के पंजी-IX का संबंधित नीलामपत्रवाद कार्यालय के पंजी-X के साथ तिर्यक-जाँच किया (मई 2016) और पाया कि 1991-92 से 1993-94 की अवधि हेतु बकाया राशि ₹ 1.99 करोड़ के बकाया की वसूली के लिए मार्च 2000 में एक व्यवसायी मेसर्स डाटा केबल प्रा. लि., धनबाद के विरुद्ध दायर वाद संख्या-22/99-00 पंजी-IX से गायब था। अ. अ. ने पंजी-IX और पंजी-X का मिलान नहीं किया। इस तरह, बकायों की वसूली हेतु नीलामपत्रवाद मामले का अवलोकन नहीं किया गया।

इसे हमारे इंगित किये जाने के बाद वा.क.उ. ने कहा कि पंजी-IX का जिला नीलामपत्रवाद कार्यालय में पंजी-X के साथ मिलान किया जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

#### 2.4.10.2 नीलामपत्रवाद प्रारम्भ करने के पूर्व अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना

**अनुद्यूहीत बकाया ₹ 7.31 करोड़ पर नीलामपत्र वाद प्रारम्भ करने से पूर्व ₹ 13.22 करोड़ का अर्थदंड नहीं आरोपित किया गया।**

बि.उ.लो.मा.व. अधिनियम के तहत राजस्व पर्षद अनुदेश संख्या-9 में प्रावधान है कि ब्याज, यदि कोई, किसी भी दर से, जिसकी सम्बन्धित अधिनियम द्वारा अनुमति हो

माँग देय होने की तिथि से नीलामपत्र वाद दाखिल करने की तिथि तक अधियाचना पदाधिकारी (अ.प.) द्वारा शामिल किया जाएगा। अतएव, अ.प. को नीलामपत्र वाद दायर किए जाने से पूर्व झा.मू.व.क. अधिनियम या निरसित अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत देय मांग (बकाये की राशि) में ब्याज/अर्थदण्ड की राशि शामिल करना आवश्यक था।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों<sup>21</sup> के 54 व्यवसायियों में से छः व्यवसायियों के नीलामपत्र वाद के मामलों के अभिलेखों से देखा (मई 2016) कि 1992-93 से 2009-10 तक की अवधि के बकाया राजस्व की राशि ₹ 7.31 करोड़ की वसूली के लिए जनवरी 2010 से फरवरी 2015 के बीच नीलामपत्र वाद दायर किये गये थे। अ.प., मामले को नीलाम पत्र अधिकारी को भेजते समय कर भुगतान में विलम्ब के लिये बिना कारण बताये अर्थदंड ₹ 13.22 करोड़ आरोपित नहीं किया (परिशिष्ट-VI)।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव उचित कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

## 2.4.11 नीलामपत्र वाद की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी

### 2.4.11.1 बन्द कर दिये गये व्यवसाय के विरुद्ध नीलामपत्र वाद की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी

माँग पत्रों के तामिल होने के दो से तीन साल के बाद भी नीलामपत्र वाद की कार्यवाही शुरू नहीं किया गया था।

हमने रामगढ़ और राँची पूर्वी वाणिज्यकर अंचलों में देखा (मई 2016) कि दो व्यवसायियों ने 2009-10 और 2010-11 की अवधि का बकाया कर ₹ 2.42 करोड़ जिनका कर निर्धारण क्रमशः फरवरी 2013 और मई 2014 में हुआ था, का भुगतान किये बिना व्यवसाय को बंद कर दिया था। माँग पत्र फरवरी 2013 और मई 2014 के मध्य निर्गत किये गये थे। हालाँकि, माँग पत्र तामिल होने के दो से तीन साल बाद भी बकाया की वसूली के लिये नीलामपत्र वाद की कार्यवाही शुरू नहीं किया गया था। तदन्तर झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 43(6) के तहत बकाया कर का भुगतान नहीं करने के लिये प्रति माह दो प्रतिशत की दर से संगणित भुगतान के देय हो जाने (मई 2013 से जुलाई 2014 के मध्य) से भुगतान करने में बिलम्ब (मार्च 2016) के लिये ₹ 1.34 करोड़ का अर्थदंड भी आरोप्य था लेकिन आरोपित नहीं किया गया (अक्टूबर 2016)।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव उचित कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

<sup>21</sup> धनबाद नागरीय, जमशेदपुर और सिंहभूम।

### 2.4.11.2 विद्युत शुल्क (वि.शु.) की वसूली के लिये नीलामपत्र वाद आरम्भ नहीं किया जाना

दो व्यवसायियों के विरुद्ध 2002-03 से 2009-10 की अवधि का अर्थदंड ₹ 70.78 करोड़ सहित विद्युत शुल्क (वि.शु.) ₹ 116.98 करोड़ वसूली के लिए लंबित था।

बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अंतर्गत, अधिनियम के अधीन आरोपित कोई भी शुल्क या अर्थदंड भुगतान के लिए बकाया रहता है तो वह भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली योग्य है। पुनः बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 की धारा 5-ए (2) के अंतर्गत, कोई भी अनुज्ञप्तिधारी नियत तारीख के भीतर विद्युत शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी अर्थदंड आरोपित करेगा जो प्रतिमाह पहले तीन महीने के लिए द्वाइ प्रतिशत और बाद के महीने के लिए पांच प्रतिशत से कम नहीं होगा।

हमने वाणिज्यकर अंचल रांची दक्षिणी में दो व्यवसायियों के मामले में देखा (मई 2016) कि वर्ष 2002-03 से 2009-10 की अवधि का कर निर्धारण मार्च 2008 से अक्टूबर 2013 के मध्य सम्पन्न किया गया था। तदनुसार, मार्च 2011 से अक्टूबर 2013 के मध्य बकाया विद्युत शुल्क (वि.शु.) ₹ 46.20 करोड़ के लिये मांग पत्र निर्गत किया गया था। मांग पत्र अक्टूबर 2011 से नवम्बर 2013 के मध्य तामिल किया गया था लेकिन आज तक वह वसूली के लिये शेष था (अक्टूबर 2016)। विहित प्राधिकारी विद्युत शुल्क की राशि की वसूली के लिए बिना कारण बताये अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया था। निर्धारित विद्युत शुल्क का भुगतान न करने के लिए नवंबर 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के अलावा अर्थदंड ₹ 70.78 करोड़ भी आरोप्य था जिसे आरोपित नहीं किया गया था (परिशिष्ट-VII)।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव, जे.एस.ई.बी. से बकाया की वसूली के लिये उचित कार्रवाई करने पर सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

### 2.4.12 आस्थगित कर और उस पर देय ब्याज की वसूली नहीं

₹ 22.02 लाख के ब्याज सहित ₹ 98.74 लाख आस्थगित कर की राशि नहीं वसूला गया था।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, की धारा 95 (3) (ii) के साथ पठित नियम 64 प्रावधानित करता है कि एक निबन्धित व्यवसायी जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत कर विमुक्ति की सुविधा का उपभोग कर रहा था, उन्हें अचल सम्पत्ति के सकल मूल्य की शेष प्रतिशतता या शेष अवधि के लिये कर विमुक्ति की सुविधा को कर आस्थगन की सुविधा में अनुमत किया जा सकेगा, बशर्ते कि व्यवसायी को

झा.मू.व.क.-408 में नए सिरे से पात्रता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। आस्थगित अवधि की समाप्ति के बाद व्यवसायी को दस बराबर छः मासिक किश्तों में आस्थगित कर का भुगतान करना है, जिसमें विफल रहने पर प्रति माह ढाई प्रतिशत की दर से ब्याज आरोप्य है। हालांकि, माननीय उच्चतम न्यायालय, मेसर्स टाटा स्टील कंपनी वनाम झारखंड राज्य के मामले में आस्थगित कर के भुगतान में विफल होने पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान का आदेश दिया था (12/02/2016)।

हमने धनबाद वाणिज्यकर अंचल में देखा (मई 2016) कि छः व्यवसायियों ने



असमाप्त हुए अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2012 तक के लिए ₹ 1.29 करोड़ कर के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाया था, जिनमें से दो व्यवसायियों ने कुल राशि ₹ 10.63 लाख और अन्य दो व्यवसायियों ने आंशिक रूप से ₹ 41.21 लाख (कुल ₹ 51.84 लाख) का भुगतान कर दिया था। इस प्रकार, चार

व्यवसायियों से मई 2016 तक शेष बकाया राशि ₹ 76.72 लाख नहीं वसूला गया था। हालांकि, प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज ₹ 22.02 लाख आस्थगित कर का नहीं/बिलम्ब से भुगतान करने के लिए आरोप्य था, जिसे आरोपित नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 22.02 लाख ब्याज सहित ₹ 98.74 लाख बकायेदारों से नहीं वसूला गया।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्रधान सचिव बकाया की वसूली के लिये उचित कार्रवाई करने पर सहमत हुए। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

### **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली**

आंतरिक नियंत्रणों का प्रयोजन कानून, नियमावलियों और विभागीय निर्देशों के उचित अमल का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करता है। ये धोखे एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और बचाव में भी मदद करते हैं। आंतरिक नियंत्रण शीघ्र एवं दक्ष सेवाओं के लिए करों और शुल्कों के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए विश्वसनीय वित्तिय एवं सूचना प्रणालियों के सृजन में भी मदद करते हैं। अतः यह सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व है कि एक उचित आंतरिक संरचना की स्थापना हो और इसे प्रभावी रखने के लिए यह समय-समय अद्यतन किया जाय।

### 2.4.13 राजस्व के बकायों का अनुश्रवण

**झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विभाग ने न तो बकाया और संग्रहण पंजी निर्धारित किया और न ही निगरानी के लिए साफ्टवेयर में कोई इनबिल्ट प्रणाली स्थापित किया।**

निरस्त कर अधिनियम (बि.वि. अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग ने विवरणियों की प्राप्ति स्वीकृत/निर्धारित कर की राशि का भुगतान, कर निर्धारण पूर्ण करने और जमा कर घटाने के बाद शेष देय कर के राशि आदि की निगरानी की सुविधा के लिए, प्रत्येक वाणिज्यकर अंचल में बकाया और संग्रहण पंजी (पंजी-VI) संधारित करना विहित किया था।

झा.मू.व.क. अधिनियम लागू होने के बाद विभाग ने न तो कर की बकाया राशि का ब्यौरा उल्लिखित करने के लिए किसी भी तरह का पंजी विहित किया और न ही विभाग के साफ्टवेयर एप्लिकेशन में बकाया की वसूली की निगरानी करने के लिए इनबिल्ट प्रणाली संस्थापित किया। हालांकि, नमूना जाँच किए गए अंचलों में से कुछ अंचलों में हमने देखा कि अपनी सुविधा के लिए पंजी-VI सन्धारित किया जा रहा था। यह राजस्व की बकाया राशि के संग्रहण और निगरानी में विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता को इंगित करता है।

मामले को हमारे बताए जाने (अप्रैल 2016) के बाद विभाग ने बकाया राशि की निगरानी के लिए अपेक्षित साँफ्टवेयर की गैर मौजूदगी के तथ्य को स्वीकारा और कहा कि टी. सी. एस. को इस उद्देश्य के लिए साँफ्टवेयर स्थापित करने का निर्देश दिए जा रहा था।

### 2.4.14 मानव संसाधन प्रबंधन

**नमूना जाँच किये गए अंचलो मे मार्च 2016 तक पदाधिकारी (35 प्रतिशत) एव सहायक कर्मी (67 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी थी जिससे राजस्व बकाया के संग्रहण का कार्य प्रभावित हुआ।**

किसी संगठन या विभाग के कुशल एव प्रभावी कार्यचालन हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता महत्वपूर्ण निमित्त है, यह पाया गया कि आच्छादित अवधि में बकायो में वृद्धि हुई यद्यपि मानव बल की कमी थी। हमने (अप्रैल 2016 एव जुलाई 2016 के मध्य में) नमूना जाँच किये गये अंचलों में पदाधिकारियों/सहायक कर्मियों के स्वीकृत एव कार्यरत बल की स्थिति का संकलन किया। मई 2016 तक स्वीकृत बल एव कार्यरत बल की स्थिति तालिका-2.14 में वर्णित है।

तालिका-2.14

क्र.स.	अंचल का नाम	स्वीकृत बल		कार्यरत बल		कमी(प्रतिशत)	
		पदाधिकारी	अन्य	पदाधिकारी	अन्य	पदाधिकारी	अन्य
1	आदित्यपुर	8	39	6	10	2	29
2	देवघर	8	25	4	7	4	18
3	धनबाद	8	36	5	13	3	23
4	धनबाद नागरीय	12	45	8	11	4	34
5	जमशेदपुर	11	36	9	12	2	24
6	जमशेदपुर नागरीय	10	36	6	13	4	23
7	रामगढ़	8	23	7	13	1	10
8	रांची पूर्वी	8	29	5	9	3	20
9	रांची दक्षिणी	11	35	5	9	6	26
10	सिंघभूम	7	22	4	9	3	13
कुल		91	326	59	106	32	220

उपर्युक्त के आधार पर यह देखा जा सकता है की नमूना जाँच किए जाए अंचलों में पदाधिकारी (35 प्रतिशत) एवं सहायक कर्मी (67 प्रतिशत) की भारी कमी पायी गई जिसके कारण यह बकायों राजस्व का संग्रहण प्रभावित हुआ। जैसा कि पूर्व के कंडिकाओं में चित्रित है।

हम अनुशांसा करते हैं कि सरकार अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए स्वीकृत बल के अनुसार मानवबल की तैनाती पर विचार कर सकती है।

#### 2.4.15 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः समग्र नियंत्रणों का नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह की किसी संगठन को कानून, नियम एवं विभागीय निर्देशों के उचित प्रवर्तन में सक्षम बनाता है। विभाग में मू.व.क. लेखा परीक्षा स्कन्ध चयनित लेखापरीक्षा निर्धारण के उद्देश्य हेतु अस्तित्व में आया परंतु बकाए के मामलों का पुनरीक्षण करना इसका उद्देश्य नहीं था। वाणिज्यकर विभाग ने अप्रैल 2016 में कहा कि बकाए की वसूली की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों के एक दल को प्राधिकृत किया गया है। तथापि, मांगे जाने पर भी (जुलाई 2016) विभाग ने बकाए की निगरानी के परिणामों को प्रस्तुत नहीं किया।

#### 2.4.16 निष्कर्ष

विभाग ने राजस्व के बकाये के अनुश्रवण के लिए कोई पंजी निर्धारित नहीं किया है अथवा वांछित सन्निहित अनुप्रयोग सॉफ्टवेर को संस्थापित नहीं किया है। ऐसे में, विभाग बकाए की सही स्थिति का पता नहीं लगा सकता। तदन्तर, विभाग ने राजस्व की त्वरित वसूली के लिए मांग पत्र तमिला की समय सारणी निर्धारित नहीं की है



और इसके पास अपील एवं पुनरीक्षण में लंबित मामलों को लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा के द्वारा के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया नहीं है।

#### 2.4.17 अनुशंसाओं का सारांश

सरकार विचार कर सकती हैं:

- बकाया राशि की वसूली की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाने और बकाया राशि को कम करने के लिए उचित कदम उठाने के लिये, महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर एक अलग वसूली प्रकोष्ठ का गठन करने, जहाँ महाराष्ट्र वैट अधिनियम के तहत, संयुक्त आयुक्त (वसूली) के अंतर्गत, एक अलग वसूली शाखा को बकाएदारों का बैंक खाते, चल-अचल संपत्तियों की जब्ति और नीलामी का अधिकार है;
- विशेष आयुक्त की नियुक्ति द्वारा या मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए विभागीय प्राधिकारियों को शक्ति प्रदत्त करके, अपील/पुनरीक्षण के मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा हेतु निर्देश जारी करने;
- राजस्व की संरक्षण के लिए समयबद्ध सीमा के भीतर माँग पत्र निर्गत और तामिल करने के लिए निर्देश जारी करने;
- बकाया मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए लगातार अनुश्रवण और भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू करके बकाया राजस्व की वसूली का निर्देश जारी करने; और
- अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिये स्वीकृत बल के अनुसार मानव बल प्रतिनियुक्त करने।

## 2.5 वास्तविक आवर्त के निर्धारण में अनियमितताएँ

उचित कर निर्धारण एवं देय कर के आरोपण के लिये आवर्त का वास्तविक निर्धारण आवश्यक है। इस कंडिका में विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना तथा आवर्त के गलत निर्धारण में सम्मिलित ₹ 294.32 करोड़ के कर और अर्थदण्ड पर प्रकाश डाला गया है जैसा कि कंडिका 2.5.1 और 2.5.3 में उल्लिखित है।

### 2.5.1 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

करनिर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण संपन्न करते समय व्यवसायी के पृथक अभिलेखों में उपलब्ध अतिरिक्त सूचनाओं से विवरणियों की जाँच नहीं की। जिसके फलस्वरूप वास्तविक आवर्त का छिपाव हुआ तथा परिणामी ₹ 284.10 करोड़ के अर्थदण्ड और कर का अवनिर्धारण हुआ।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 40(1) और 37(6) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के ठोस कारण हैं कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुनी राशि के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने 11 वाणिज्यकर अंचलों<sup>22</sup> में निबंधित 39,741 व्यवसायियों में से 1,677 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जून 2015 और मार्च 2016 के बीच) और देखा कि 18 व्यवसायियों ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान आवधिक विवरणियों और प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में निर्धारित वैट ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ₹ 1,447.06 करोड़ का क्रय/विक्रय आवर्त दर्शाया था जिसके आधार पर (सितंबर 2013 और अगस्त 2015 के बीच) कर निर्धारण संपन्न किया गया। तथापि, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्र 'एफ' और 'सी' की अधियाचना और उपयोग, वार्षिक विवरणी, ब्यापार लेखा, अंकेक्षित वार्षिक लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा अनुज्ञा प्रपत्र की विस्तृत विवरणी की हमारी जाँच से यह पता चला कि व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 2,230.56 करोड़ मूल्य के वस्तुओं<sup>23</sup> का

<sup>22</sup> आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर, कतरास, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

<sup>23</sup> बस का ढाँचा, सीमेंट, वाणिज्यिक वाहन और स्पेयर पार्ट्स, कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट्स, डी सल्फराईजिंग पाउडर, बिजली के सामान, विस्फोटक, फायर ब्रिक्स, इन्सुलेटर फिटिंग, लौह अयस्क, धातु स्टील छड़, धातु स्टील फ्लैट, धातु स्टील इंगोट्स, रेलवे की बोगियाँ, रबर उत्पादों, स्पंज आयरन, स्टील ट्यूब्स और कार्य संविदा में शामिल माल।

क्रय/प्राप्ति/विक्रय किया था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 783.50 करोड़ के सामग्रियों के क्रय/विक्रय को छिपाया था। यह दर्शाता है कि निर्धारण प्राधिकारियों ने इन 18 व्यवसायियों द्वारा दाखिल किये गये अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सूचनाओं से विवरणियों का तिर्यक सत्यापन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 189.40 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 284.10 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने अधिकतम वित्तीय निहितार्थ के आधार पर पाँच वाणिज्यकर अंचलों के पाँच व्यवसायियों के संबंध में विशिष्ट मामलों को तालिका-2.15 में उल्लेख किया है।

तालिका - 2.15

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	छिपाया गया आवर्त कर की दर (%)	मू.व.क. का कम आरोपण अर्थदण्ड
1	आदित्यपुर एक	2011-12 फरवरी 2015	व्यवसायी ने विनिर्मित और बिक्री की गयी वस्तुओं पर ₹ 49.01 करोड़ का उपकर सहित उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था। इस प्रकार, उत्पाद शुल्क भुगतान के आधार पर वस्तुओं की वास्तविक बिक्री ₹ 475.86 करोड़ थी, लेकिन विक्रय आवर्त ₹ 76.43 करोड़ ही लेखापित किया गया था।	399.43 14	55.92 111.84
2	राँची पश्चिमी एक	2010-11 मार्च 2014	व्यवसायी ने 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 464.96 करोड़ का प्रपत्र 'सी' में घोषणा जारी किया लेकिन ₹ 316.98 करोड़ अन्तरराज्यीय क्रय लेखापित किया।	147.98 12.5	18.50 37.00
3	सिंहभूम एक	2011-12 नवम्बर 2014	व्यवसायी ने कच्चे माल की खरीद पर भुगतान की गये ₹ 85.76 करोड़ के उत्पाद शुल्क का भुगतान शामिल नहीं किया।	85.76 14	12.00 24.00
4	गिरिडीह एक	2011-12, एवं 2012-13 मार्च एवं अगस्त 2015	व्यवसायी ने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार ₹ 311.98 करोड़ की बिक्री दर्शाया लेकिन ₹ 194.02 करोड़ पर कर निर्धारण संपन्न किया गया। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 117.96 करोड़ का बिक्री आवर्त छिपाया था।	117.96 5	5.90 11.80
5	जमशेदपुर एक	2010-11 मार्च 2014	व्यवसायी ने ₹ 46 करोड़ का वास्तविक खरीद किया था लेकिन ₹ 41.85 करोड़ ही लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।	4.15 12.5	0.52 1.04

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; बहिर्गमन सम्मेलन में सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। बाद में, विभाग ने गिरिडीह वाणिज्यकर अंचल के चार मामलों में ₹ 2.52 करोड़ का अतिरिक्त मांग सृजित किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.5.2 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत सकल आवर्त का गलत निर्धारण

सकल आवर्त ₹ 4,732.25 करोड़ के बजाय ₹ 4,633.45 करोड़ गलत तरीके से निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.63 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2(xxv) के प्रावधानों के अंतर्गत सकल आवर्त (स.आ.), किसी दी गई अवधि के दौरान कार्य संविदा के निष्पादन अथवा अन्तर्राज्यीय बिक्री या वाणिज्य के दौरान राज्य के बाहर वस्तुओं की बिक्री अथवा निर्यात के लिए प्राप्त या प्राप्य कुल राशि सहित व्यवसायी द्वारा प्राप्त और प्राप्य कुल राशियों का योग है।

हमने छः वाणिज्यकर अंचलों<sup>24</sup> में निबंधित 14,716 व्यवसायियों में से 818 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 5.5 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और पाया कि आठ व्यवसायियों के मामलों में 2009-10 से 2011-12 की अवधि लिए सकल आवर्त ₹ 4,633.45 करोड़ निर्धारित किया गया था। तथापि, व्यवसायी द्वारा दाखिल विवरणी की हमारी संवीक्षा में यह पाया गया कि वास्तविक सकल आवर्त ₹ 4,732.25 करोड़ था। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (फरवरी 2013 और अगस्त 2015 के मध्य) विवरणियों/अभिलेखों में उल्लिखित आँकड़ों पर विचार नहीं किया और बिना कारण बताये हुए कम करके सकल आवर्त का निर्धारण किया, इसके फलस्वरूप ₹ 98.80 करोड़ से स.आ. का गलत निर्धारण हुआ। इसका परिणाम ₹ 5.63 करोड़ के कर के अवनिर्धारण में हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; बहिर्गमन सम्मेलन में सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.5.3 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत करदेय आवर्त का गलत निर्धारण

झा.मू.व.क. नियमावली के अंतर्गत श्रम एवं सदृश प्रभार पर गलत छूट की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 32.98 करोड़ के कर देय आवर्त का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 4.59 करोड़ के कर का परिणामी अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 का नियम 22, कार्य संविदा के प्रयोजन हेतु करयोग्य आवर्त के निर्धारण के लिए श्रम लागत और एवं अन्य सदृश प्रभार को घटाने की अनुमति प्रदान करता है। तदन्तर, यह प्रावधान है कि कार्य संवेदक द्वारा घोषित कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त मालों का मूल्य वस्तुओं के खरीद मूल्य से कम

<sup>24</sup> आदित्यपुर, चाईबासा, हजारीबाग, जमशेदपुर नागरीय, कतरास और लोहरदगा।

नहीं हो सकेगा और अगर संवेदक और मू.व.क. व्यवसायी माल के सही मूल्य निर्धारित करने के लिए खातों का संधारण नहीं किया है, तो वह कुल प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल पर, निर्दिष्ट कटौती के बाद 14 फीसदी की दर (7 मई 2011 से) से कर का भुगतान करेगा।

हमने पांच वाणिज्यकर अंचलों<sup>25</sup> में निबंधित 19,210 व्यवसायियों में से 989 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 5.14 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और देखा कि 10 संवेदकों के मामले में 2010-11 और 2011-12- के दौरान श्रम लागत और एवं अन्य सदृश प्रभार पर गलत छूट की अनुमति देने के कारण करयोग्य आवर्त (टी.टी.ओ.) ₹ 174.13 करोड़ के बजाय ₹ 141.15 करोड़ का आवर्त निर्धारित किया गया। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (मई 2012 और मार्च 2015 के बीच) उपरोक्त नियम के अनुसार कर देय आवर्त का निर्धारण नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 32.98 करोड़ के कर देय आवर्त का अल्पनिर्धारण हुआ। इसके फलस्वरूप ₹ 4.59 करोड़ के कर की राशि का अवनिर्धारण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। इसके बाद, विभाग ने जमशेदपुर नागरीय वाणिज्यकर अंचल के एक मामले में ₹ 4.63 करोड़ के अतिरिक्त मांग का सृजन किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.6 ब्याज का अनारोपण

*झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य के बाहर/भीतर भंडार हस्तांतरण, कर की रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री, सामग्रियों के स्वयं उपभोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे की अस्वीकृति और करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा स.आ. में अभिवृद्धि पर ₹ 173.06 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया। मामलों अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं:*

### 2.6.1 अस्वीकृत छूट और रियायतों पर ब्याज आरोपित नहीं किया गया

करनिर्धारण प्राधिकारियों ने, छूट, रियायतें और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति के कारण आवर्त पर निर्धारित दरों पर कर आरोपित की। हालांकि, ₹ 119.92 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 35(6) के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन, यदि निर्धारित समय के भीतर स्व-निर्धारण दाखिल नहीं की गयी हो, तो विहित प्राधिकारी दाखिल

<sup>25</sup> धनबाद नागरीय, गोड्डा, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय और सिंहभूम।

की गयी विवरणी के आधार पर, जो अभिलेखों में दर्ज हो, अधिनियम के अधीन छूट व कटौती जो अपेक्षित प्रमाण द्वारा समर्थित न हो, की अस्वीकृति सहित आवश्यक समायोजन करने के पश्चात व्यवसायी द्वारा देय कर एवं ब्याज की राशि का निर्धारण करेगा। तदन्तर, अधिनियम की धारा 30(1), कर देय की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि या निर्धारण के आदेश की तिथि, जो भी पहले हो, एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज आरोपित करने को प्रावधानित करता है।

हमने नौ वाणिज्यकर अंचलों<sup>26</sup> के 36,700 निबंधित व्यवसायियों में से 1,398 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2015 और फरवरी 2016 के बीच) की और पाया कि 19 व्यवसायियों ने आवधिक विवरणी/झा.मू.व.क.-409 के द्वारा 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान ₹ 32,525.69 करोड़ के आवर्त पर राज्य के बाहर/अंदर भंडार अंतरण, मार्गस्थ बिक्री, रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। क.नि.प्रा. ने (फरवरी 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) इन व्यवसायियों का कर निर्धारण संपन्न करते समय ₹ 28,048.24 करोड़ के आवर्त पर कर से छूट एवं कर के रियायती दर की अनुमति दी। शेष आवर्त ₹ 4,477.44 करोड़ पर विहित दर से करारोपण कर ₹ 345.77 करोड़ का कर आरोपित किया गया। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 119.92 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया। .

हमने उच्चतम वित्तीय निहितार्थ के आधार पर पांच वाणिज्यकर अंचलों में पांच व्यवसायियों के संबंध में विनिर्दिष्ट मामलों को तालिका- 2.16 में उल्लेख किया है।

तालिका-2.16

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	निर्धारित अतिरिक्त कर	आरोप्य ब्याज
1	रांची पश्चिमी एक	2011-12 मार्च 2015	व्यवसायी ने गैर कर प्रभारों पारगमन बिक्री और आई.टी.सी से संबंधित ₹ 2,340.37 करोड़ की छूट/आई.टी.सी का दावा किया। हालांकि, क.नि.प्रा. ने ₹ 619.35 करोड़ का दावा स्वीकार किया और अस्वीकृत आवर्त पर ₹ 188.82 करोड़ का कर आरोपित किया। निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।	188.82	66.09

<sup>26</sup> आदित्यपुर, चिरकुंडा, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रांची विशेष और रांची पश्चिमी।

तालिका-2.16

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	निर्धारित अतिरिक्त कर	आरोप्य ब्याज
2	जमशेदपुर नागरीय एक	2011-12 फरवरी 2015	व्यवसायी ने अंतर्राज्यीय भंडारअंतरण, रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री और एस इ जेड इकाईयों को की गई बिक्री हेतु ₹ 28,205.90 करोड़ का दावा किया था लेकिन प्रपत्र 'एफ', 'सी' और 'आइ' ₹ 26,523.75 करोड़ हेतु प्रस्तुत की। क.नि.प्रा. ने ₹ 83.15 करोड़ का कर आरोपित किया लेकिन निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	83.15	28.27
3	जमशेदपुर एक	2011-12 मार्च 2015	व्यवसायी ने भंडारअंतरण, रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री, मार्गस्थ बिक्री और आई.टी.सी हेतु ₹ 717.98 करोड़ का दावा किया था लेकिन प्रपत्र 'एफ', 'सी' 'ई-1' और झा.मू.व.क-404, ₹ 36.84 करोड़ हेतु प्रस्तुत की। क.नि.प्रा. ने अस्वीकृत आवर्त पर ₹ 54.59 करोड़ का कर आरोपित किया लेकिन निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	54.59	19.11
4	आदित्यपुर एक	2011-12 फरवरी 2015	व्यवसायी ने भंडारअंतरण, निर्यात बिक्री रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री और आई.टी.सी हेतु ₹ 209.29 करोड़ का दावा किया था लेकिन प्रपत्र 'एफ', 'सी' 'एच' और झा.मू.व.क.-404 प्रस्तुत नहीं किया क.नि.प्रा. ने अस्वीकृत आवर्त पर ₹ 8.31 करोड़ का कर आरोपित किया लेकिन निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	8.31	2.83
5	गिरिडीह एक	2011-12 फरवरी 2014	व्यवसायी ने ₹ 36.81 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया था लेकिन आई.टी.सी का दावा अस्वीकृत कर दिया गया। तथापि, निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	0.37	0.13

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। इसके बाद, विभाग ने तीन वाणिज्यकर अंचलों के तीन मामले में ₹ 68.32 करोड़ के अतिरिक्त मांग का सृजन किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.6.2 बढ़ाये गये आवर्त पर ब्याज का आरोपण नहीं होना

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 40 (2) के प्रावधानों के तहत 15 व्यवसायियों द्वारा आवर्त के छिपाव/संगोपन के लिए क.नि.प्रा. द्वारा आवर्त और उसपर कर का निर्धारण करते समय ₹ 53.14 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के धारा 40(2) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी किसी ऐसी सूचना पर, जो उसे निर्धारण के पूर्व या अन्यथा प्राप्त हुई हो, कि किसी निबंधित व्यवसायी ने उसके द्वारा देय कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से किसी खरीद या बिक्री या उसके किसी हिस्से को छुपाया है या अपने आवर्त का गलत विवरण प्रस्तुत किया है या स्वयं द्वारा प्रस्तुत विवरणी में क्रय या विक्रय का गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया है, तो वह व्यवसायी को निर्धारित अतिरिक्त कर के साथ साथ, अप्रकट या छुपाये गये आवर्त पर प्रत्येक माह के लिए पांच प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में एक राशि अदा करने का निर्देश देगा।

हमने नौ वाणिज्यकर अंचलों<sup>27</sup> में निबंधित व्यवसायियों का पांच प्रतिशत अर्थात् 33,298 व्यवसायियों में से 1,538 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) और पाया कि 15 व्यवसायियों ने 2011-12 और 2012-13 की अवधि के लिए ₹ 3,955.14 करोड़ के स.आ. घोषित करते हुए अपनी विवरणियों दाखिल की। क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (जनवरी 2015 और जनवरी 2016 के बीच) मालों का नहीं/कम लेखांकन, आवर्त का छिपाव, गलत, अपूर्ण और अविश्वसनीय लेखा प्रस्तुत करने के आधार पर सकल आवर्त को ₹ 616.17 करोड़ के अतिरिक्त राशि द्वारा बढ़ाकर ₹ 4,571.31 करोड़ पर पुनर्निर्धारण किया। हालांकि, झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 40(2) के प्रावधानों के तहत ₹ 53.14 करोड़ का यद्यपि ब्याज आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.7 केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुपालन में अनियमितताएँ

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अधीन जारी नियमों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत करारोपण से छूट/रियायत का दावा करने हेतु

<sup>27</sup> आदित्यपुर, चिरकुंडा, धनबाद, धनबाद नागरीय, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया और तेनुघाट।



विभिन्न घोषणा प्रपत्रें निर्धारित हैं। तदन्तर अधिनियम घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग पर दंड के आरोपण की व्यवस्था करता है।

हमने पाया कि क.नि.प्रा. ने अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया, परिणामतः ₹ 45.80 करोड़ के अर्थदंड एवं कर का अल्पारोपण हुआ। ये मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं:

### 2.7.1 के.बि.क. के तहत कर के रियायती दर की गलत अनुमति

अस्वीकृत मार्गस्थ बिक्री के ₹ 377.32 करोड़ पर कर की गलत रियायती दर आरोपित की गई हालांकि ये राज्य के भीतर सम्पन्न किए गये थे और परिणामतः ₹ 45.28 करोड़ का अल्पारोपण हुआ।

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बने नियम 12(1) एवं 12(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी माल की बिक्री पर इस अधिनियम के तहत कर से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि बिक्रेता व्यवसायी विहित प्राधिकारी को निबंधित व्यवसायी जिस से माल खरीदे गए थे द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र ई-1 या ई-11 में एक प्रमाण पत्र और प्रपत्र 'सी' में उस पक्ष से एक घोषणापत्र जिसे बाद में माल बेचे गए थे, प्रस्तुत करेगा। तदन्तर अधिनियम की धारा 3 प्राविधित करता है कि अन्तरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य के क्रम में बिक्री या क्रय की गई वस्तुओं की बिक्री तब माना जायेगा, जब बिक्रय या क्रय की गई वस्तुओं का परिवहन एक राज्य से अन्य राज्य के लिए हो या एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए उनकी संचलन के दौरान मालों के स्वत्वाधिकार के दस्तावेजों का स्थानांतरण ससमय किया गया हो।

हमने रांची पश्चिमी वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 5740 व्यवसायियों में से 110 व्यवसायियों (व्यवसायियों का दो प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच की (नवंबर 2015) और पाया कि एक व्यवसायी के मामले में कर निर्धारण (मार्च 2015) करते समय क.नि.प्रा. ने अवधि 2011-12 के लिए मार्गस्थ बिक्री के ₹ 377.32 करोड़ को अस्वीकृत कर दिया और मात्र झारखंड के व्यवसायियों द्वारा जारी प्रपत्र 'सी' की प्रस्तुतिकरण पर, कर की रियायती दर आरोपित किया। चूँकि, सामान की खरीद और बिक्री एक ही राज्य में प्रारंभ और समाप्त हुआ था के.बि.क. अधिनियम के तहत लागू कर के रियायती दर के बजाय राज्य में लागू उचित दर पर आरोपित किया जाना अपेक्षित था। इसके फलस्वरूप रियायती दर की गलत अनुमति दी गई और परिणामस्वरूप ₹ 45.28 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.7.2 के.बि.क. के तहत कर का अवनिर्धारण

कर के रियायती दर पर आधिक्य स्वीकृति या गलत दर के अनुप्रयोग के फलस्वरूप के.बि.क. अधिनियम के तहत ₹ 52.16 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक निबंधित व्यवसायी, जो अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों का माल बेचता है, पर दो प्रतिशत की रियायती दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि ऐसी बिक्री क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र 'सी' से समर्थित हो और जहां बिक्री प्रपत्र 'सी' में घोषणा द्वारा समर्थित नहीं है, पर राज्य में इस तरह के माल की बिक्री पर लागू दर पर कर आरोप्य है।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों<sup>28</sup> में निबंधित 7,968 व्यवसायियों में से 379 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 4.8 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच की (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) और पाया कि धनबाद और तेनुघाट वाणिज्यकर अंचलों के तीन व्यवसायियों के मामलों में क.नि.प्र. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (अक्टूबर 2014 सितंबर 2015 के बीच) प्रपत्र 'सी' में 156 घोषणाओं के प्रस्तुतिकरण पर ₹ 680.25 करोड़ पर कर की रियायती दर आरोपित किया। हालांकि, अभिलेखों की हमारी संवीक्षा ने उद्घटित किया कि उपर्युक्त आवर्त में ₹ 12.21 करोड़ का कर अवयव शामिल था जिसे गलत कर योग्य आवर्त के रूप में माना गया। तदन्तर, हमने देखा कि आदित्यपुर वाणिज्यकर अंचल में, क.नि.प्र. द्वारा कर निर्धारण संपन्न करते समय (फरवरी 2015) 33 घोषणाओं में ₹ 21.33 करोड़ के लिए प्रपत्र 'सी' के प्रस्तुतिकरण पर, ₹ 15.58 करोड़ के आवर्त पर ही कर की रियायती दर आरोपित किया गया था। क.नि.प्रा ने कहा कि ₹ छः करोड़ के अधिक मूल्य का प्रपत्र 'सी' व्यवसायी की दूसरी इकाई से संबंधित था। हमने उसी अंचल में निबंधित व्यवसायी की दूसरी इकाई के अभिलेखों के साथ उपर्युक्त प्रपत्रों की तिर्यक-जाँच की और पाया कि उपर्युक्त प्रपत्र 'सी' पर रियायती दर पर कर नहीं लगाया गया था। आदित्यपुर अंचल में निबंधित एक अन्य व्यवसायी के मामले में, व्यवसायी द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन ₹ 3.52 करोड़ के आवर्त पर पांच प्रतिशत की बजाय चार प्रतिशत की गलत दर से कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप पांच व्यवसायियों के मामले में ₹ 52.16 लाख के के.बि.क. का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा

<sup>28</sup> आदित्यपुर, धनबाद और तेनुघाट।।

कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। विभाग ने तेनुघाट वाणिज्यकर अंचल के एक मामले में ₹ 26.96 लाख के अतिरिक्त मांग का सृजन किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.8 झा.मू.व.क. अधिनियम के तहत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

**बस/ट्रक का ढाँचा, सौंदर्य प्रसाधन, जनरेटर सेट, और कार्य संविदा में मान्य बिक्री के आवर्त पर मू.व.क. के गलत दर के अनुप्रयोग के फलस्वरूप ₹ 15.44 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।**

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 9 और 13 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के तहत बस/ट्रक का ढाँचा, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, बाथ शावर, जनरेटर सेट, डीजल इंजन के पुर्जे आदि 7 मई 2011 से 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। मोटर पार्ट्स 7 मई, 2011 से 10 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अनुसार कार्य ठेकेदारों के अस्वीकृत श्रम लागत और अन्य सदृश प्रभार पर 6 मई 2011 तक 12.5 प्रतिशत और उसके बाद 14 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने थे। यह न्यायिक निर्णय<sup>29</sup> है कि बस ढाँचा मोटर वाहन का अभिन्न हिस्सा है और यह स्पेयर पार्ट्स या सहायक उपकरण के तहत नहीं आता है।

हमने आठ वाणिज्यकर अंचलों<sup>30</sup> में निबंधित 34,299 व्यवसायियों में से 968 व्यवसायियों (व्यवसायियों का तीन प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और यह पाया कि बस/ट्रक ढाँचों, सौंदर्य प्रसाधन, स्टील की कुर्सियाँ, जनरेटर सेट, मोटर पार्ट्स डीजल इंजन के पुर्जे आदि या कार्य संविदा का काम कर रहे 22 व्यवसायियों ने 2011-12 और 2012-13 के बीच की अवधि के लिए एक, चार, पाँच और 10 प्रतिशत की दर से कर स्वीकार करते हुये अपनी विवरणियाँ दाखिल की। हालांकि, कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच से पता चला कि करनिर्धारण प्राधिकारी आदित्यपुर, अंचल ने छः व्यवसायियों के मामले में बस/ट्रक के ढाँचे की बिक्री पर 14 प्रतिशत की दर से ₹ 24.92 करोड़ की आरोप्य कर के बजाय इसे स्पेयर पार्ट्स मानते हुए 10 प्रतिशत की दर से ₹ 17.80 करोड़ का कर लगाया। शेष सात अंचलों के करनिर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) ने 16 व्यवसायियों के कर निर्धारण सम्पन्न करते समय (मई 2014 और मार्च 2016 के बीच) 14 प्रतिशत की दर से ₹ 14.18 करोड़ के आरोप्य कर के बजाय सौंदर्य प्रसाधन, स्टील की कुर्सियाँ, जनरेटर सेट, मोटर पार्ट्स डीजल इंजन के पुर्जे आदि की बिक्री तथा कार्य संविदा पर एक, चार और पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 5.86 करोड़ का कर लगाया। क.नि.प्रा. विवरणियों/अभिलेखों में उल्लिखित आंकड़ों

<sup>29</sup> अन्नपूर्णा कार्बन उद्योग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1976] 37 एसटीसी 378 (एससी) और अंबाला कोच बिल्डर्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [1977] 39 एसटीसी 44 पी.एच.।

<sup>30</sup> आदित्यपुर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास, रांची विशेष और रांची पश्चिमी।

की उक्त प्रावधानों और दरों की अनुसूची से सत्यापित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण ₹ 15.44 करोड़ के कर का अवानिर्धारण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। विभाग ने गिरिडीह वाणिज्यकर अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 12.94 लाख के अतिरिक्त मांग का सृजन किया। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.9 गलत छूट

देय कर के आरोपण हेतु वास्तविक आवर्त के निर्धारण के लिए वास्तविक छूट के निर्धारण की स्वीकृति आवश्यक है। इस कंडिका में छूट की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 11.57 करोड़ के कर का अवनिर्धारण शामिल है।

### 2.9.1 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत छूट की गलत अनुमति

व्यवसायियों को मूल्यांतर और सब्सिडी, प्रोत्साहन, व्यापार छूट, छूट, सेवा प्रभार, लघु संविदा व्यय, उत्पाद शुल्क आदि के कारण ₹ 6.08 करोड़ के कर से छूट की अनुचित स्वीकृति प्रदान की गई।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 2(xiii) के प्रावधानों के तहत, उत्पाद शुल्क खरीद मूल्य का एक अभिन्न हिस्सा है और अप्रैल 2010 से संशोधित<sup>31</sup> धारा 9(5) के अनुसार जब एक निबंधित व्यवसायी किसी बिक्री के क्रम में मालों की मात्रा के (रूप में या अन्यथा) व्यापार छूट या प्रोत्साहन की अनुमति देता है, व्यापार छूट या प्रोत्साहन के रूप में अनुमत मात्रा को व्यवसायी द्वारा की गयी बिक्री माना जायगा। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 22 के तहत अनिबंधित ठेकेदारों को दिये गये लघु संविदा व्यय और टी.डी.एस के लिए छूट, स्वीकार्य नहीं है।

हमने नौ वाणिज्यकर अंचलों<sup>32</sup> में निबंधित 37,606 व्यवसायियों में से 1,375 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 3.6 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और पाया कि 13 निर्धारितियों ने 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान मूल्यांतर और सब्सिडी, प्रोत्साहन, व्यापार छूट, छूट, सेवा प्रभार, लघु संविदा व्यय, उत्पाद शुल्क और टी.डी.एस इत्यादि के मद में ₹ 56.56 करोड़ की कटौती का दावा किया। करनिर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के बीच) प्रावधानों के

<sup>31</sup> 7 मई 2011 के एस.ओ.1।

<sup>32</sup> आदित्यपुर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर नागरीय, पलामू, रांची पूर्वी, रांची विशेष, रांची पश्चिमी और सिंहभूम।

उल्लंघन कर गलत तरीके से उपरोक्त आवर्त पर कर से छूट कि स्वीकृति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

### 2.9.2 छूट की गलत अनुमति

**क.नि.प्रा. द्वारा ₹ 109.74 करोड़ के छूट की गलत स्वीकृति दिये जाने के कारण ₹ 5.49 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।**

के.बि.क. अधिनियम की धारा 6 ए और उसके अधीन बने नियम 12(5) के अनुसार, राज्य के बाहर वस्तुओं के भंडार अंतरण पर कर से छूट का लाभ लेने के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जैसे लेनदेन जो प्रपत्र 'एफ' द्वारा समर्थित नहीं है के मामले में, राज्य में लागू उचित दर पर कर आरोप्य है। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 44 के अनुसार जहां कोई व्यवसायी राज्य के भीतर अपनी शाखाओं को माल के भंडार अंतरण पर कर के आरोपण से छूट का दावा करता है, तो व्यवसायी इस उद्देश्य के लिए विधिवत अंतरिती शाखा द्वारा जारी किए गए प्रपत्र झा.मू.व.क.-506 प्रस्तुत करेगा।

हमने कतरास वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 1,470 व्यवसायियों में से 179 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 12.17 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2016) की और पाया कि एक व्यवसायी के मामले में 2011-12 की अवधि के लिये करनिर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण फरवरी 2015 में संपन्न करते समय ₹ 16.42 करोड़ और ₹ 93.32 करोड़ के राज्यान्तर्गत और अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण के दावे को अस्वीकृत कर दिया, जो क्रमशः प्रपत्र 'एफ' और प्रपत्र झा.मू.व.क.-506 में, घोषणाओं द्वारा समर्थित नहीं थे। तथापि, कर निर्धारण संपन्न करते समय उपरोक्त ₹ 109.74 करोड़ का आवर्त कर के आरोपण से बच गया। इसके फलस्वरूप ₹ 109.74 करोड़ के गलत छूट की अनुमति दी गयी और परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमत हुए और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.10 इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकृति में अनियमितताएँ

राज्य के बाहर अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री पर आई.टी.सी. का समायोजन और नियमों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 4.47 करोड़ का अतिरिक्त आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गई।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी कर अवधि के दौरान उसके द्वारा राज्य के अन्दर किये गये क्रय पर भुगतान की गयी कर राशि पर, पूर्ववर्ती मू.व.क. बिक्री व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 में दावा प्रस्तुत करने पर आई.टी.सी. का हकदार है। बशर्ते बिक्रेता व्यवसायी एक साल के दौरान किए गए बिक्री के लिए एक क्रेता व्यवसायी के संबंध में एक घोषणा जारी करेगा। राज्य के बाहर वस्तुओं के स्थानांतरण के मामलों में आई.टी.सी. की आनुपातिक रूप से अनुमति दी जायगी, हालाँकि, अन्तर्राज्यीय अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं था। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 प्राविधित करता है कि, जहाँ किसी संवेदक मू.व.क. व्यवसायी ने वस्तुओं के सही मूल्य का निर्धारण करने हेतु लेखाओं का संधारण नहीं किया है, तो वह आई.टी.सी. के दावे का पात्र नहीं होगा।

हमने सात वाणिज्यकर अंचलों<sup>33</sup> में निबंधित 23,454 व्यवसायियों में से 808 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 3.4 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2015 और मार्च 2016 के बीच) की और पाया कि 11 व्यवसायियों ने 2011-12 और 2012-13 के बीच की अवधि के लिये करों के भुगतान से ₹ 199.71 करोड़ का आई.टी.सी. समायोजित किया जिसमें अन्तर्राज्यीय अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्रियाँ, अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण का गलत संविभाजन, नियमों के गलत अनुप्रयोग, का दावा शामिल था। क.नि.प्रा. ने भी कर निर्धारण संपन्न करते समय (जून 2014 और फरवरी 2016 के बीच) ₹ 199.71 करोड़ की आई.टी.सी. की स्वीकृति दी थी। हालांकि, झा.मू.व.क.-404 में घोषणाओं और करयोग्य आवर्त के विस्तृत विवरण की हमारी जांच से, पता चला कि इसमें राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण, अन्तर्राज्यीय अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्रियाँ, अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण का गलत संविभाजन, लेखाओं का संधारण नहीं करने आदि के लिए आई.टी.सी. के दावे के मामले थे। इस प्रकार ये व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 195.24 करोड़ के आई.टी.सी. की राशि के हकदार थे। इसके परिणामस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा ₹ 4.47 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गयी, इसके अलावा गलत आई.टी.सी. का लाभ उठाने के लिए व्यवसायी ₹ 1.29 करोड़ रुपये के ब्याज का भी भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे।

<sup>33</sup> आदित्यपुर, चाईबासा, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास और सिंहभूम।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। विभाग ने गिरिडीह और हजारीबाग वाणिज्यकर अंचलों के दो व्यवसायियों के मामले में ₹ 32.77 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.11 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

**क्रय किये गये वस्तुएँ जो पूंजीकृत कर दी गई अथवा विनिर्माण के बाद बिक्री के अतिरिक्त अन्यथा निपटाया गया, पर क.नि.प्रा. ने ₹ 44.15 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया।**

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर के भुगतान का उत्तरदायी प्रत्येक व्यवसायी जो किसी व्यवसायी से उन परिस्थितियों में, जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है, किन्हीं वस्तुओं की खरीद करता है तो वह ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर कर भुगतान का उत्तरदायी होगा यदि ऐसी खरीद के बाद वस्तुओं का उपयोग या उपभोग उन वस्तुओं के उत्पादन पर किया जाता है जो इस तरह विनिर्मित वस्तुएं राज्यान्तर्गत या अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के क्रम में बिक्री से अन्यथा निपटाया गया हो। तदन्तर, प्रत्येक व्यवसायी, जो अनिबंधित व्यवसायी से माल खरीदता है एवं अन्यथा निपटारा करता है, वह भी खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कर उसी दर से आरोपित किया जायेगा जो ऐसी वस्तुओं की राज्यान्तर्गत बिक्री पर इस तरह की खरीद की तारीख पर आरोपित होती।

हमने झरिया और आदित्यपुर वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 5,324 व्यवसायियों में से 236 व्यवसायियों (व्यवसायियों का 4.4 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (सितंबर और दिसंबर 2015 के बीच) की और पाया कि दो व्यवसायियों के मामलों में क.नि.प्रा. ने 2011-12 की अवधि के लिये कर निर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2015) क्रय कर का आरोपण नहीं किया। एक मामले में एक व्यवसायी ने अनिबंधित व्यवसायियों से ₹ 2.53 करोड़ रुपये का माल खरीदा और अपने व्यापार के लिए माल को पूंजीकृत किया। दूसरे व्यवसायी के मामले में हमने पाया कि ₹ 184.12 करोड़ के कुल विनिर्मित माल में से ₹ 28.94 करोड़ का माल राज्य के बाहर भंडार अंतरण के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। तदन्तर, हमारी जांच से पता चला कि व्यवसायी ने उक्त विनिर्माण की प्रक्रिया में ₹ 5.55 करोड़ रुपये का माल अनिबंधित व्यवसायियों से खरीदकर उपभोग किया था। इस प्रकार, व्यवसायी भंडार अंतरण के संविभाजित/पूंजीकृत मूल्य पर ₹ 44.15 लाख के क्रय कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे।



हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकनों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

## 2.12 अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया

**निर्धारित प्रपत्र झा.मू.व.क-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अप्रस्तुतीकरण हेतु ₹ 26.77 लाख का दंड आरोपित नहीं किया गया।**

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 63(3) के प्रावधानों के अधीन, एक व्यवसायी जिसका किसी विशेष वर्ष में सकल आवर्त ₹ 40 लाख से अधिक हो, वह उस वर्ष के अंत होने से नौ महीने के भीतर मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्र झा.मू.व.क-409 के रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है; ऐसा करने में विफल रहने पर करनिर्धारण अधिकारी सकल आवर्त जैसा वह निर्धारित करे, का 0.1 प्रतिशत दण्ड के रूप में आरोपण करेगा।

हमने लोहरदगा वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 961 व्यवसायियों में से 101 व्यवसायियों (अर्थात् व्यवसायियों के 10.5 प्रतिशत) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2015) की और पाया कि एक निबंधित व्यवसायी ने 2009-10 से 2010-11 की अवधि के लिये प्रपत्र झा.मू.व.क-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, हालांकि आवर्त वर्ष में ₹ 40 लाख से अधिक था। करनिर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2013 और मार्च 2014 के बीच) ₹ 267.68 करोड़ के निर्धारित सकल आवर्त पर मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए अर्थदंड ₹ 26.77 लाख को आरोपित नहीं किया, हालांकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ये आरोप्य थे।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; सरकार/विभाग ने बहिर्गमन सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की और ₹ 26.77 लाख के अतिरिक्त मांग का सृजन किया (सितम्बर 2016)। तदन्तर उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।